महिला, खनन एवं विकास पर विचार विमर्श

इंटरनेशनल वीमेन एंड माइनिंग नेटवर्क
नेट्स इंटरनेशनल मुद्दों के लिये

निपुणता आदान-प्रदान रिपोर्ट...
16 - 19 मार्च 2009 हैदराबाद, भारत

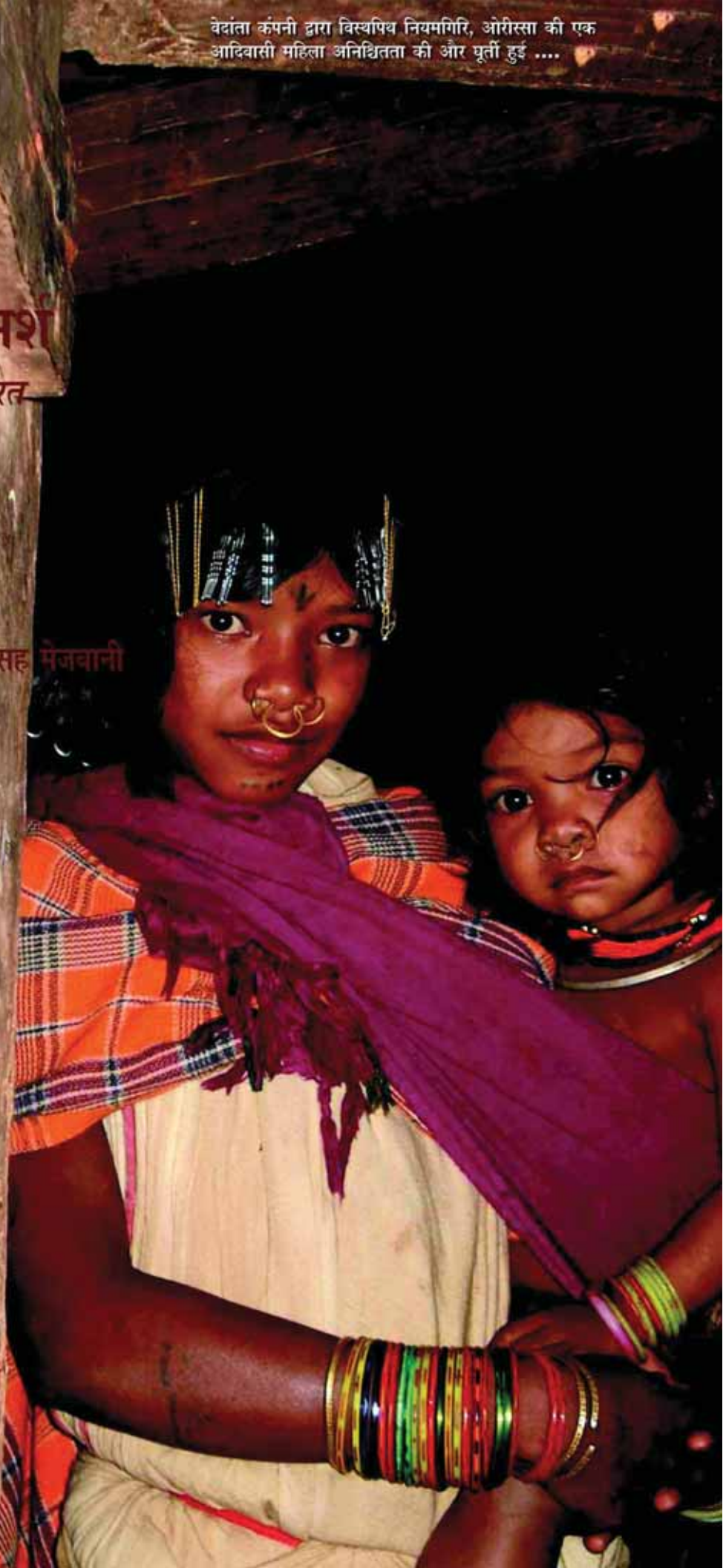

वेदांता कंपनी द्वारा विस्थापित नियमगिरि, ओरीस्सा की एक आदिवासी महिला अनिश्चितता की ओर घूर्ती हुई ....

महिला, खनन एवं विकास पर विचार विमर्श

16 - 19 मार्च 2009 हैदराबाद, भारत

मैनस मिनेरल्स अंड पीपल्स
रेसौर्स सेंटर फोर विमेन अंड चिल्ड्रेन द्वारा सह मेजबानी

इंटरनेरानल विमेन अंड मैनिंग
नेटवर्क की तरफ से ...

ग्लोबल फंड फोर विमेन, यु एस ए ओर
बोथ एन्ड्स, द नेथेर्लन्द्स द्वारा समर्थित

जुलै 2009

विषय सुंचिका

1. भूमिका 1

1.1 खनन उद्योग से महिलाओं पर पड़ने वाले असर 1

2. परामर्श बैठक (कंसल्टेशन) की जरूरत 2

3. सहभागी 3

4. कंसल्टेशन की रूपरेखा 4

5. एशिया : रणनीतियों व अभियानों का आदान-प्रदान 5

5.1 कम्बोडिया 6

5.2 भारत 8

5.2.1 आंध्र प्रदेश 8

5.2.2 झारखंड 10

5.2.3 कर्नाटक 12

5.2.4 महाराष्ट्र 13

5.2.5 उड़ीसा 14

5.2.6 राजस्थान 16

5.2.7 तमिलनाडु 17

5.3 इंडोनेशिया 18

5.4 म्यांमार 20

5.5 फिलीपींस 21

5.6 थाईलैंड 23

6. खनन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर 25

7. लघु सामूहिक सत्रों की सिफारिशें 26

7.1 मुक्त, समयपूर्व एवं सचेत सहमति सत्र का सारांश 26

7.2 श्रम सत्र का सारांश 30

8. आगे का रास्ता 31

9. फील्ड ट्रिप 32

10. परिशिष्ट 32

परिशिष्ट 10.1 भारतीय खनन उद्योग में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग 32

परिशिष्ट 10.2 सहभागियों की सूची 35

1. भूमिका

वैश्विक बाजारों में खनिज पदार्थों की मांग और उत्खनन गतिविधियों में बेहिसाब इजाफा हुआ है। इस मांग की वजह से एक गहरा असंतुलन पैदा हो रहा है और संसाधनों, आजीविका व उत्तरजीविता साधनों पर नियंत्रण को लेकर भारी टकराव पैदा हो रहे हैं। वैश्विक खनन उद्योग सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और अंतर्सरकारी संस्थाओं में इस कदर पैठ बना चुका है कि उसने मानव जाति की प्रगति के मार्ग को ही निर्धारित करना शुरू कर दिया है। तरक्की का यह मार्ग उच्च ऊर्जा एवं उपभोक्ता केंद्रित विकास की एक अमिट प्यास को जन्म दे रहा है।

इसके लिए बहुत सारे विकासशील एवं अविकसित देशों के खनिज भंडारों को जम कर लूटा-खसोटा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खनन निगमों ने सौ प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, श्रम मानकों में ढील, पर्यावरण कानूनों में भारी बदलाव, मुक्त व्यापार, बेहद रियायती कीमतों पर असंख्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच के जरिए और तमाम सामाजिक एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों से पल्ला झाड़ कर विकासशील एवं अविकसित देशों में वैश्वीकरण व निजीकरण की नीतियों को खुल कर बढ़ावा दिया है।

इतनी सरगर्मियों और संसाधनों के दोहन की इस रफ्तार ने समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र, दोनों को भारी खतरे में डाल दिया है। इससे न केवल आर्थिक एवं पूंजी प्रवाहों पर असर पड़ रहे हैं बल्कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में भी गहरे बदलाव आएंगे तथा भूमि प्रयोग रुझान, मानवाधिकार, श्रम, सामाजिक संबंध और विश्व शांति की संभावना गहरे तौर पर प्रभावित होगी।

इन बदलावों से महिलाओं व बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव सबसे क्रूर मगर हमारी आंखों से ओझल रहे हैं। विशाल कृषि एवं वन भूमियों को खदानों में तब्दील कर देने और समुदायों को जीवनदायी जल स्रोतों से वंचित कर देने के चलते भीषण पारिस्थितिकीय ध्वंस पैदा हो रहा है। इससे भूमिगत जल स्तर पर भी गहरा असर पड़ेगा जिससे निचले इलाकों में रहने वाले किसानों, मछुवारों और शहरी समाजों की जिंदगी बदल जाएगी और विस्थापन व पलायन जैसी ध्वंसकारी परिघटनाएं पैदा होंगी। ये सभी बदलाव स्त्रियों के लिए बहुत गहरे तौर पर विनाशकारी हैं।

1.1 खनन उद्योग से महिलाओं पर पड़ने वाले असर

दुनिया भर में खनन गतिविधियों से महिलाओं, खासतौर से देशी (आदिवाशी) समुदायों की महिलाओं पर गहरे नकारात्मक असर पड़ते हैं। ये गतिविधियां मानव समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी घातक होती हैं। आज प्रस्तावित निजी एवं बहुराष्ट्रीय परियोजनाओं की वजह से बड़े पैमाने पर विस्थापन, छंटनी और आजीविकाओं का विनाश हो रहा है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां वायुमंडलीय परिवर्तन के चलते शरणार्थियों के रूप में एक बहुत बड़ी संवेदनशील आबादी पैदा हो रही है। पितृसत्तात्मक समाज में खनन परियोजनाओं से विस्थापित होने के बाद कानूनन औरतों के पास जमीन या प्राकृतिक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होता है। जहां कहीं भी खनन कार्य हुए हैं वहां महिलाओं की आर्थिक हैसियत नष्ट हुई है। परंपरागत फसलों की खेती के उनके अधिकार तहस-नहस हो गए हैं और उपभोग या आजीविका के लिए उन्हें वन उत्पादों पर भी कोई अधिकार नहीं मिलता। विवश होकर वे केवल पुरुषों की आय पर निर्भर होती चली जाती हैं। खनन गतिविधियों से विस्थापित महिलाओं की जीवन परिस्थितियां -- उनकी निजी एवं सांस्कृतिक परिधि, अवरचनागत सुविधाएं, सामाजिक रीति-रिवाजों से बचाव -- पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ते हैं और वे लाचार होकर रह जाती हैं।

यदि खानों में औरतों को नौकरी पर रखा जाता है तो भी प्रायः उन्हें निजी क्षेत्र की छोटी खानों में ही नौकरी मिलती है और सबसे पहले उन्हीं की छंटनी की जाती है। उनके पास श्रमिक सुरक्षा के उपाय नहीं होते, वे गंभीर स्वास्थ्य खतरों से जूझती हैं जिससे उनकी प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ता है और वे अकसर यौन शोषण के खतरे में रहती हैं। महिलाओं को नौकरानियों, निर्माण मजदूर जैसे कठोर परिश्रम वाले और हाशियाई रोजगार मिलते हैं या फिर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। ये ऐसे व्यवसाय हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं और सामाजिक रूप से अपमानजनक हैं। बहुत सारे स्थानों पर पत्नियों के साथ मार-पीट, शराबखोरी, कर्जे, शारीरिक व यौन उत्पीड़न, वेश्यावृत्ति, बहुस्त्री संबंध और पत्नियों को छोड़ देने जैसी

कुरीतियां भी तेजी से सिर उठा रही हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और विरले ही कभी शासन उन पर ध्यान देता है जिसके कारण दोषियों को शायद ही कभी सजा मिल पाती है। नाबालिग लड़कियों या खनन प्रभावित महिलाओं के मानवाधिकारों की अवहेलना चिंताजनक हद तक बढ़ चुकी है क्योंकि कंपनियां किसी भी तरह के लोकतांत्रिक विरोध या आंदोलन के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाने से नहीं चूकतीं।

2. परामर्श बैठक (कंसल्टेशन) की जरूरत

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को अपने पंजों में समेट लिया है इसलिए हमारे जैसे संघर्षरत संगठनों को भी वैश्विक खनन अर्थव्यवस्था का सामना करने के लिए अपने गठजोड़ और गठबंधन बनाने होंगे। आज हम उन्हीं खनन गठबंधनों से जूझ रहे हैं जो दुनिया भर के देशों के कानूनों को तय करते हैं और हमारे लोगों, हमारी जमीनों और हमारे संसाधनों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं।

हमें सूचनाओं के आदान-प्रदान, सरकार पर दबाव बनाने और अभियानों के सुदृढ़ीकरण के लिए जांच दल बनाने होंगे, सरकार व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लिखना होगा, जेंडर की दृष्टि से प्रभावों का आकलन करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संवादों और परामर्शों में हिस्सा लेना होगा तथा देशी समुदायों की महिलाओं व मजदूरों को सहायता देनी होगी ताकि वे अपनी निपुणताओं और रणनीतियों के आदान-प्रदान के जरिए अभियान की रणनीतियां विकसित कर सकें। खनन प्रभावित समुदायों और महिला खनिकों के लिए निपुणता आदान-प्रदान कार्यशालाओं के जरिए हमें सूचनाओं, अनुभवों और अभियान रणनीतियों के आदान-प्रदान पर विशेष जोर देना होगा।

कंसल्टेशन के जरिए हमारा मकसद यह था कि :

- महिलाओं को इस बात के लिए सहायता दी जाए कि वे इकट्ठा हों और एक-दूसरे के आंदोलनों से ताकत व साहस ग्रहण करें।
- स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉबिंग के लिए कंपनियों, कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और संधियों के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, नागर समाज और संयुक्त राष्ट्र संस्थानों के सामने स्थानीय संघर्षों के प्रचार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को खनन प्रभावित महिलाओं व बच्चों की परेशानियों व सरोकारों से अवगत कराना।
- खास स्थानों और देशों की खनन परिस्थितियों के दस्तावेजीकरण के लिए कदम उठाना ताकि संयुक्त राष्ट्र संस्थानों को वैकल्पिक रिपोर्ट भेजी जा सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं खनन नेटवर्क या रेड इंटरनेसियोनाल 'मुखेरेज ई मिनेरिया' (रिम) की सदस्यता का सुदृढ़ीकरण करना और जनता, समुदायों व नागर समाज को खनन उद्योग के बारे में रिम के दृष्टिकोण से अवगत कराना।
- खनन एवं सामाजिक परिस्थितियों की साझा पृष्ठभूमि से संबद्ध सदस्यों (देशी महिलाओं, महिला खनिकों) को सामूहिक एडवोकेसी के लिए इकट्ठा करना।

यह कंसल्टेशन स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खनन उद्योग विरोधी संघर्षों, खासतौर से इन अभियानों में शामिल महिलाओं के बीच निपुणताओं, अनुभवों और रणनीतियों के आदान-प्रदान के लिए चलाई जा रही प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। ताजा कंसल्टेशन काफी उत्तेजक और उत्साहजनक रही तथा इसमें एशिया की कई महत्वपूर्ण समस्याओं ने हिस्सा लिया। इस कंसल्टेशन में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि महिलाओं के लिए लोकतांत्रिक और राजनीतिक परिधियां लगातार सिमटती जा रही हैं।

निपुणताओं के आदान-प्रदान के दो मोटा-मोटी हिस्से थे। एक समूह में खनन परियोजनाओं से विस्थापित हो चुकी या हो रही देशी व ग्रामीण समुदायों की महिलाएं थीं जो अपने अधिकारों के हनन और तरह-तरह के उल्लंघनों से जूझ रही हैं जबकि दूसरे समूहों में अनौपचारिक खानों, असंगठित क्षेत्र/छोटी खानों में काम करने वाली महिला मजदूर थीं। देशी महिलाओं के संदर्भ में मुक्त, समयपूर्व और सचेत सहमति (एफपीआईसी) की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया।

3. सहभागी

इस परामर्श एवं निपुणता आदान-प्रदान आयोजन को मुख्य रूप से स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रभावित महिलाओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया था। इस आयोजन का मकसद यह था कि कार्यकर्ता और प्रभावित महिलाएं एक-दूसरे के साथ अपनी कहानियों, रणनीतियों, अभियानों का आदान-प्रदान करें और सामूहिक कार्रवाइयों के लिए आगे की योजनाएं बनाएं। इस आयोजन में 48 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इनमें एशिया के 6 देश -- बर्मा, कम्बोडिया, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड -- की देशी महिलाओं और महिला खान मजदूरों ने हिस्सा लिया।

देश	प्रतिनिधि संगठन	प्रभावित समुदाय/समुदाय की प्रतिनिधि
कम्बोडिया	ऑक्सफेम अमेरिका/हाईलैंडर एसोसिएशन/विलेज सपोर्ट ग्रुप/डीपीए	छोटे पैमाने के खनन कार्यों से जुड़ी देशी महिलाओं और समुदायों का प्रतिनिधित्व
भारत		
आंध्र प्रदेश		
विशाखापत्तनम	समता/क्राईनेट/सीतारामराजू युवजन संघम	प्रस्तावित बॉक्साइट खनन एवं रिफाइनरीज के विरुद्ध संघर्षरत आदिवासी एवं ग्रामीण महिलाएं
हैदराबाद एवं कुड़प्पा	एमएयूपी/वीआरडीएस	यूरेनियम खनन का विरोध कर रही ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व
झारखंड	झारखंड उल्गुलान मंच/झारखंड उल्गुलान महिला मंच/आदिवासी कल्याण परिषद/पीयूसीएल/जुड़ाव/आदिवासी लाहांति गावतो	प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र और कोयला खनन के खिलाफ अभियान चला रही आदिवासी महिलाएं।
कर्नाटक	सखी	लौह अयस्क खानों में काम करने वाली ग्रामीण एवं आदिवासी महिला खनिक
महाराष्ट्र	संतुलन	पत्थर की खदानों में काम करने वाली ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाएं
उड़ीसा	उड़ीसा आदिबासी मंच/नियामगिरी सुरक्षा परिषद/अंकुरण/ससुबहुमली सुरख्या समिति/बपलीमाली सुरख्या समिति	बॉक्साइट खनन एवं एल्युमिना रिफाइनरी के खिलाफ संघर्षरत आदिवासी महिलाएं
राजस्थान	एमएलपीसी	पत्थर की खानों में काम करने वाली ग्रामीण महिलाएं
तमिलनाडु	वीरांगनाई	एल्युमिना रिफाइनरीज के खिलाफ सामुदायिक अभियान का प्रतिनिधित्व
इंडोनेशिया	जतम (जेएपीएएम)	स्वर्ण खनन से प्रभावित महिलाओं का प्रतिनिधित्व
मयांमार	केडीएनजी	जेड खनन प्रभावित महिलाओं के मुद्दों का प्रतिनिधित्व
फिलीपींस	लीगल राइट्स ऐण्ड नेचुरल रिसोर्सेज़ सेंटर-कसामा सा कालीकासान-फ्रेंड्स ऑफ दि अर्थ फिलीपींस	स्वर्ण एवं तांबा खनन परियोजनाओं का विरोध कर रही महिलाओं का प्रतिनिधित्व
थाईलैंड	इकोलॉजिकल ऐण्ड कल्चरल स्टडीज ग्रुप/फार्मर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन	पोटाश खनन के विरुद्ध संघर्षरत महिलाओं का प्रतिनिधित्व

4. कंसल्टेशन की रूपरेखा

'महिला, खनन एवं विकास कंसल्टेशन' का आयोजन 16 से 19 मार्च 2009 के बीच युसूफगुडा स्थित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम संस्थान में किया गया। यह कंसल्टेशन नैशनल एलायंस ऑफ माइन्स, मिनरल्स ऐण्ड पीपुल (एमएम ऐण्ड पी) तथा धात्री रिर्सोस सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन द्वारा रिम (आरआईएमएम) की ओर से किया गया था।

चार दिवसीय कंसल्टेशन का संक्षिप्त विवरण :

पहला दिन : सहभागियों द्वारा रणनीतियों व अभियानों का आदान-प्रदान, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (विस्तृत विवरण भाग 5 में देखें)

दूसरा दिन : खनन गतिविधियों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रस्तुति और चर्चा (विस्तृत विवरण भाग 6 में देखें)

बुयात बे (बुयात खाड़ी), इंडोनेशिया के आसपास रहने वाले समुदायों पर सोने के खनन से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में एक वृत्तचित्र दिखाया गया।

एफपीआईसी और श्रमिक अधिकारों की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा।

महिलाओं के संदर्भ में खानों में एफपीआईसी तथा श्रम पर छोटे समूह में चर्चाएं।

तीसरा दिन : लघु सामूहिक चर्चाओं से निकली सिफारिशों का सार-संकलन (विस्तृत विवरण भाग 7 में देखें)।

आगे का रास्ता (विस्तृत विवरण भाग 8 में देखें)।

चौथा दिन : सहभागियों के लिए प्रस्तावित यूरेनियम खनन स्थल की फील्ड ट्रिप (विस्तृत विवरण भाग 9 में देखें) तथा संवाददाता सम्मेलन।

5. एशिया : रणनीतियों व अभियानों का आदान-प्रदान

अभियान एवं रणनीतियों के आदान-प्रदान से सहभागियों को अपने अनुभवों को बांटने और इस छोटे से समूह से ऊर्जा व आत्मविश्वास ग्रहण करने का मौका मिला। आयोजकों को आशा थी कि कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक महिला यहां निकले सबकों और सीखों को खनन कंपनियों और उनको बढ़ावा देने वाली सरकारों के खिलाफ संघर्ष चला रहे अपने समुदायों तक ले जाने में एक अहम भूमिका अदा करेगी।

इस आदान-प्रदान का मकसद इस अहसास को साकार करना था कि हमारा कोई भी संघर्ष और समस्या एक-दूसरे से अलग नहीं है; भारत की आदिवासी औरतें विस्थापन के संदर्भ में जिन समस्याओं से जूझ रही है वे समस्याएं थाईलैंड के समुदायों की महिलाओं से अलग नहीं हैं।

इसी आधार पर कम्बोडिया की महिला खनिकों को राजस्थान व महाराष्ट्र की महिला खनिकों ने खनन ठेकेदारों या विशाल औद्योगिक खनन कंपनियों द्वारा कार्यस्थल पर किए जाने वाले दमन और शोषण के बारे में आगाह किया।

"जीवन की रक्षा के लिए,
अधिकारों के लिए"

5.1 कम्बोडिया

कम्बोडिया

क्षेत्र	देश में खनन उद्योगों का खाका
अभियान	विशालकाय विनाशकारी खनन परियोजनाओं को रोकने के लिए
संगठन	ऑक्सफेम अमेरिका/हाईलैंडर एसोसिएशन/विलेज सपोर्ट ग्रुप/डीपीए
कंपनी	.....
खनिज पदार्थ	बॉक्साइट/तांबा/लौह अयस्क/चूना पत्थर/निकेल/टंगस्टन/कार्बोनेट चट्टानें/जैमस्टोन/सोना/मैंगनीज़/फॉस्फेट/स्लेट/सिलिका/ज़रकोन

खमेर रूज किलिंग फील्ड्स (1975-79) और उसके बाद एक दशक तक चले गृह युद्ध (1979-89) जैसे त्रासद अनुभवों के बाद आखिरकार कम्बोडिया 1993 में अपना संविधान रचने में कामयाब रहा है। बाद के सालों में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पर्यावरण (1996), जमीन (2001), खनन (2001) और वन (2002) संबंधी कानून भी बनाए गए। हालांकि अस्सी के दशक में जंगलों के दोहन के लिए जारी किए गए अनुबंधों और रियायतों के चलते देश की वन संपदा बुरी तरह सिमटी चुकी थी मगर अभी भी कम्बोडिया में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और देश का एक बड़ा भू-भाग घने जंगलों से ढंका हुआ है। कम्बोडिया में खनिज संपदा का भी बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध है।

कम्बोडिया ने पारिवारिक खनन के अलावा उत्खनन उद्योग में कभी कोई निवेश नहीं किया था और पारिवारिक स्तर की खनन गतिविधियां कभी भी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा संकट नहीं थीं। खेती से लोगों की ज्यादातर जरूरतें पूरी हो जाती थीं और बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्य छोटे पैमाने पर सोने और जैमस्टोन आदि खनिज पदार्थों का खनन करने लगते थे। यह उनके लिए आमदनी का सिर्फ एक अतिरिक्त स्रोत भर था। इस व्यवस्था में समुदाय का कोई भी व्यक्ति जमीन पर छोटी-मोटी खनन गतिविधियां कर सकता था। अपने हाथों और छोटे-मोटे औजारों के जरिए महिलाएं भी खनन गतिविधियों में सक्रिय रहती थीं। इससे पर्यावरण या खनिकों के स्वास्थ्य को कोई खास खतरा नहीं था। देश भर में खनिज संसाधनों की बहुतायत के बावजूद ज्यादातर संसाधन अविकसित थे। 2006 के बाद लौह अयस्क, बॉक्साइट, सोना, जस्ते और निकेल जैसे खनिज पदार्थों के दोहन व उत्खनन के लिए बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी किए जाने लगे। इनमें सोने के लिए लगभग 1,00,930 हैक्टेयर और बॉक्साइट के लिए 1,00,000 हैक्टेयर के लाइसेंस जारी किए गए।

दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग प्राकृतिक संसाधनों और परंपरागत कृषि पद्धतियों पर आश्रित हैं और उनमें से ज्यादातर देशी समुदायों के लोग हैं। परंतु खनिज अन्वेषण के लिए दी गई जमीन से संबंधित रियायतों और लाइसेंसों से इन देशी समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों, संस्कृति और कृषि आधार को ठेस पहुंचने लगी है। कम्बोडिया में जमीन को सार्वजनिक राजकीय भूमि, राजकीय भूमि और निजी भूमि की श्रेणियों में रखा जाता है। परंतु अभी तक इन तीनों श्रेणियों का अधिकृत सीमांकन नहीं किया गया है। कम्बोडिया के देशी समुदायों के पास जमीन के प्रमाण पत्र या दस्तावेज नहीं हैं जिसके कारण उन्हें अपनी पवित्र भूमि, आध्यात्मिक वनों और कब्रिस्तानों के छिन जाने का खतरा दिखायी दे

रहा है। ये सभी चीजें उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग हैं। तमाम कानूनों और नियमों के बावजूद खनिज उत्खनन एवं अन्वेषण की निगरानी व विधि क्रियान्वयन व्यवस्था फिलहाल बहुत कमजोर है। खनिज पदार्थों के अन्वेषण या उत्खनन से पहले समुदाय के साथ कोई सलाह-मशविरा नहीं होता, पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं किए जाते हैं, अधिकृत अनुबंधों पर दस्तखत से पहले ही खुदाई शुरू हो जाती है तथा जमीन पर देशी समुदायों/लोगों के कब्जे को नजरअंदाज किया जा रहा है। चिंता का एक कारण यह है कि जिन क्षेत्रों में खनन की इजाजत दी गई है उनके कई हिस्से राष्ट्रीय अभयारण्यों एवं संरक्षित क्षेत्रों में पड़ते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र पशुओं, पौधों एवं पक्षियों की असंख्य प्रजातियों को संरक्षण देते हैं जिन पर इन खनन गतिविधियों की वजह से खतरा पैदा हो गया है।

विनाशकारी खनन गतिविधियों के बारे में जागरूकता के लिए अभियान

डेवलेपमेंट ऐण्ड पार्टनरशिप ऐक्शन (डीपीए) विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समूहों के साथ काम करते हुए खनन उद्योग के विनाशकारी प्रभावी के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। डीपीए की गतिविधियों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :

- सामूहिक चर्चाओं और व्यक्तिगत साक्षात्कारों के जरिए साक्ष्यों के दस्तावेजीकरण हेतु सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन आयोजित करना।
- प्रशिक्षण, कंसल्टेशन और कानूनी सहायता के जरिए समुदाय में जागरूकता व समझदारी पैदा करना और स्थानीय शासन को प्रभावित करना।
- प्रांतीय स्तर पर जागरूकता और समझदारी पैदा करना जहां प्रांतीय गवर्नर, भूमि एवं खनन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी संबंधित पक्षों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- नेटवर्किंग के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा करना।
- फिलीपींस, ईस्ट तिमोर, चीन और भारत की एक्सपोजर विजिट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा करना।

डीपीए प्राकृतिक संसाधनों -- जंगलों, नदियों, धाराओं

आदि -- तथा समुदाय द्वारा उनके प्रयोग का विसतृत दस्तावेजीकरण करता है। डीपीए ने समुदाय की ओर से सरकार के पास कई शिकायतें, बयान और याचिकाएं भेजी हैं तथा नीति निर्माताओं के साथ संवाद में सहायता दी है। डीपीए का अभियान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और विदेशी कंपनियों के दूतावासों को प्रभावित करने का प्रयास करता है और तथ्यात्मक साक्ष्यों के आधार पर एडवोकेसी करता है। डीपीए 'ईलाज से बचाव बेहतर है' के सिद्धांत में गहरा विश्वास रखता है। संगठन का मानना है कि खनन उद्योग से जुड़े गंभीर मुद्दों को दूसरे देशों से मिले अनुभवों के आधार पर शुरू में ही संबोधित करना चाहिए न कि कम्बोडिया में भी ऐसी स्थिति पैदा होने का इंतजार करना चाहिए।

कम्बोडिया में देशी महिलाएं गैर-लकड़ी वन उत्पाद और आजीविका स्तरीय खेती पर आश्रित हैं। अब उनके इन प्राकृतिक संसाधनों पर असर पड़ने लगा है। जमीन छिनते जाने की वजह से महिलाएं लगातार परेशान होती जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खनन उद्योग के कारण नदियों और तालाबों जैसे प्राकृतिक जल स्रोत तहस-नहस होने लगे हैं। हाईलैंडर एसोसिएशन तथा विलेज सपोर्ट ग्रुप देश पर बड़े पैमाने की खनन गतिविधियों से पैदा हो रहे खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देशी महिलाओं के बीच व्यापक काम कर रहा है। ये संगठन समुदाय की महिलाओं को सहायता देते हैं ताकि वे संसाधनों पर अपने स्वामित्व अधिकारों को समझ सकें। महिलाओं को कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला संगठनों के बीच काम किया जाता है और समुदाय के भीतर से महिला नेता तैयार करने की कोशिश की जाती है।

समुदाय की महिलाओं को औद्योगिक खनन के नकारात्मक प्रभावों से अवगत कराने के बारे में समुदाय की महिलाओं को सचेत और तैयार करने की कोशिशों में कुछ सफलता मिलने लगी है। उदाहरण के लिए, 2005 में स्थानीय स्तर पर जैमस्टोन की खुदाई करने वाली एक गांव की महिलाओं ने एक कंपनी के खिलाफ आंदोलन चलाया जो जैमस्टोन खनन के लिए उनकी जमीन पर कब्जा कर चुकी थी। इस आंदोलन के दबाव में आखिरकार कंपनी को भागना पड़ा। ऑक्सफेम अमेरिका भी खनन उद्योग के खिलाफ अभियान में ऐसे स्थानीय समूहों को मदद देता है।

5.2 भारत

भारत

राज्य
आंध्र प्रदेश
झारखंड
कर्नाटक
महाराष्ट्र
उड़ीसा
राजस्थान
तमिलनाडु

5.2.1 आंध्र प्रदेश

क्षेत्र	जिला विशाखापत्तनम/हैदराबाद
अभियान	बॉक्साइट खनन एवं यूरेनियम खनन विरोधी अभियान
संगठन	समता/क्राईनेट/एमएयूपी/वीआरडीएस/ सीतारामराजू युवजन संघम
कंपनियां	अनरक एल्युमीनियम लिमिटेट / जेएसडब्ल्यूएचएल/यूसीआईएल
खनिज पदार्थ	बॉक्साइट/यूरेनियम

पूर्वी घाट पर्वत शृंखला का एक बड़ा हिस्सा विशाखापत्तनम जिले में पड़ता है। इस इलाके में बॉक्साइट सहित बहुत सारे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार मौजूद हैं। राज्य सरकार ने खनन के लिए इन पदार्थों और इलाकों को चिन्हित कर लिया है। इस इलाके में बहुत सारे आदिवासी समुदाय सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं। ये आदिवासी समुदाय इस इलाके में होने वाले खनन कार्यों का सख्त विरोध कर रहे हैं। इस इलाके में आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम नामक सरकारी संस्था द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाना है। इसके अलावा एल्युमिना प्रसंस्करण के लिए जिंदल साउथवेस्ट होल्डिंग लिमिटेड (जेएसडब्ल्यूएचएल) और अनरक एल्युमीनियम लिमिटेड नामक निजी कंपनियों द्वारा दो रिफाइनरीज़ मैदानी इलाकों में लगाई जाने वाली हैं। ये रिफाइनरी मैदानी इलाके में लगाई जाएंगी जहां किसानों की एक बड़ी आबादी रहती है और जिनके लिए खेती ही आजीविका का एक बुनियादी स्रोत है।

विशाखापत्तनम जिले में बॉक्साइट खनन विरोधी अभियान

बॉक्साइट खनन का खतरा आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में रहने वाले आदिवासियों पर 1972 से ही मंडरा रहा है। कई दशकों से सरकार यहां की जमीन में दबे विशाल बॉक्साइट भंडारों को खोद कर अपनी तिजोरी भरने के लिए हाथ-पैर मार रही है। आदिवासियों के विरोध और समता फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के चलते यह

परियोजना काफी समय से अठकी हुई है। बॉक्साइट खनन विरोधी अभियान में समता (आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्षरत स्थानीय ऐडवोकेसी संगठन) की हिस्सेदारी 16 साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है। उल्लेखनीय है कि बॉक्साइट खनन से न केवल हजारों आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे बल्कि इससे पारिस्थिकीय तौर पर संवेदनशील इस इलाके का पर्यावरण भी नष्ट हो जाएगा जो तटीय शहरों और कस्बों के लिए एक कैचमेंट के रूप में काम करता है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार जेएसडब्ल्यू लिमिटेड तथा अनरक एल्युमिनियम लिमिटेड, दोनों कंपनियों के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर चुकी है। समता इस स्थिति पर लगातार नजर रखे है और मीडिया, राजनीतिक दलों वस अन्य ताकतों को समस्या के नए-नए पहलुओं से अवगत कराती रहती है। मीडिया ऐडवोकेसी के अलावा समता ने अपने अभियान में वैधानिक तंत्र और कानूनों का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। समता की ओर से प्रेस विजिट्स, शैक्षिक व मीडिया टूर और संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं।

जनसुनवाई के समय समुदायों को मोबिलाइज करना और नियमित बैठकों, एक्सपोजर विजिट्स व संवादों के सहारे समुदाय में जागरूकता पैदा करना उसके अभियान की महत्वपूर्ण रणनीतियां रही हैं। कोस्टल रूरल यूथ नेटवर्क (क्राईनेट) विशाखापत्तनम और आसपास के जिलों में सक्रिय समुदाय आधारित संगठनों का एक फेडरेशन है। यह फेडरेशन भी स्थानीय स्तर पर मोबिलाइजेशन में लगातार सक्रिय रहा है।

अभियान में महिलाओं की सहभागिता

चाहे खनन क्षेत्र में हों या रिफाइनरी स्थल पर, महिलाएं इस अभियान की अगली कतार में रही हैं। उन सबकी एक ही मांग है -- खनन और रिफाइनरीज को रद्द किया जाए, जंगल व जमीनों को बचाया जाए। प्रस्तावित बॉक्साइट खनन एवं रिफाइनरी स्थल, दोनों जगह से महिलाएं कंसल्टेशन में आयी थीं। अनरक एल्युमीनियम लिमिटेड का एल्युमिना प्रसंस्करण संयंत्र मकावारापालेम में लगाया जाना है जहां भूख-हड़ताल और महिलाओं के कड़े विरोध के बावजूद उन्हें अपनी जमीन का मुआवजा लेने के लिए बाध्य किया गया है। अब ये महिलाएं और उनके परिवार इस बात से भयभीत हैं कि कहीं उन्हें उनके घर से भी न उजाड़ दिया

जाए। 56 दिन तक चले क्रमिक अनशन के दौरान राजनीतिक दलों और शासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि लोगों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा मगर भूख-हड़ताल खत्म होते ही शासन और राजनीतिक दल, सभी अपने वायदे से मुकर गए। नौकरियों, स्कूलों, आवासीय पट्टों आदि के बारे में किए गए सारे वायदे टूट चुके हैं। रिफाइनरी तक जाने वाली सड़क बनाने के लिए भी बाहर से मजदूर बुलाए गए थे। सड़क बनाने के लिए लोगों के जलाशयों और तालाबों को क्षत-विक्षप्त कर दिया गया है जिससे ये लोग खेती के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पुलिस आतंक और आंसू गैस के गोलों के बीच हुई अलोकतांत्रिक जन सुनवाई के बारे में भी अपने अनुभव बताए। जेएसडब्ल्यूएचएल के प्रस्तावित बॉक्साइट खनन स्थल के आसपास स्थित अरकू एवं अनंतगिरि गांवों से भी आदिवासी महिलाएं आई थीं। इन महिलाओं का दृढ़ मत था कि उन्हें अपनी जमीन पर खान नहीं चाहिए, वे जमीन के बिना नहीं जी सकतीं।

यूरेनियम खनन विरोधी अभियान

यूरेनियम परियोजना विरोधी आंदोलन (मूवमेंट अगेंस्ट यूरेनियम प्रॉजेक्टस -- एमएयूपी) बहुत सारे संवेदनशील नागरिकों और स्वैच्छिक संगठनों का एक महासंघ है। एमएयूपी कुड़प्पा और नालगोंडा जिलों में प्रस्तावित यूरेनियम खनन परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। नालगोंडा में यूरेनियम खनन परियोजना भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा प्रस्तावित है। इस परियोजना में लंबापुर एवं पेड्डागट्टू गांवों के आसपास यूरेनियम का खनन किया जाएगा और यूरेनियम रिफाइनरी सेरीपल्ली गांव के बगल में लगाई जाएगी। मगर यहां के गांव वाले खनन और रिफाइनरी,

दोनों का विरोध कर रहे हैं और अभी तक इस परियोजना को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। कुड़प्पा में भी यूसीआईएल की प्रस्तावित पुलीवेंदुला परियोजना में भी वेमूलपल्लई मंडल में यूरेनियम खनन किया जाएगा और तुम्मलपल्ली गांव में प्रसंस्करण ईकाई लगाई जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाने में एमएयूपी काफी सक्रिय है। यह विरोध मीडिया के साथ ऐडवोकेसी, महिला संगठनों की एकजुटता, गैर-सरकारी संगठनों और लोगों को इस मुद्दे पर इकट्ठा करने तथा जन सुनवाइयों में हिस्सेदारी के जरिए आगे बढ़ रहा है।

5.2.2 झारखंड

क्षेत्र	जिला दुमका
अभियान	ताप विद्युत संयंत्र एवं कोयला खनन विरोधी अभियान
संगठन	झारखंड उल्गुलान मंच/झारखंड उल्गुलान महिला मंच/आदिवासी कल्याण परिषद/पीयूसीएल/जुड़ाव/आदिवासी लाहांती गावतो
कंपनी	सीईएससी-आरपी गोयनका थर्मल पावर प्लांट
खनिज पदार्थ	कोयला

झारखंड 24 जिलों में बंटा हुआ है। ये 24 जिले संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोलहार, इन चार मंडलों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक मंडल में बहुल आदिवासी आबादी के भूमि एवं संसाधन अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून हैं। इसके बावजूद शासन लगातार खनिज पदार्थों के अन्वेषण में सक्रिय रहा है। यह काम ज्यादातर गुप्त और चोरी-छिपे ढंग से चलाया जा रहा है। लगभग 101 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां खनन गतिविधियां हाथों में लेने के लिए यहां आंखें गड़ाये बैठी हैं। फिलहाल कोयला एवं यूरेनियम खनन तथा पत्थरों की खुदाई यहां की मुख्य खनन गतिविधियां हैं। इन दोनों खनन गतिविधियों से पर्यावरण पर बहुत बुरे असर पड़े हैं। सैकड़ों साल से यहां रह रहे आदिवासियों का सामाजिक ताना-बाना इन गतिविधियों की वजह से तार-तार हो गया है। जहां भी खनन गतिविधियां चल रही हैं वहां पैदा हो रहे प्रदूषण की वजह से पांच किलोमीटर के घेरे में किसी तरह की खेती संभव नहीं रही है।

आदिवासी गांवों में बिजली उपलब्ध कराने का सरकार का आश्वासन अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। आदिवासियों को जिन नौकरियों का आश्वासन दिया गया था वे अधिकांशतः बाहरी लोगों को मिल रही हैं। जिन किशोरियों को जैसे-तैसे रोजगार मिल जाता है वे अपने ही मालिकों के हाथों अकसर यौन शोषण की आशंका में रहती हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) ने यहां बलात्कार के भी मामले दर्ज किए हैं। पीयूसीएल ने आदिवासी लड़कियों को केस दर्ज करवाने और अदालत में अपना पक्ष रखने में भी लगातार मदद दी है। मगर ये मुद्दे विरले ही बाहर आ पाते हैं। कंपनी, ठेकेदार और प्रशासन आदिवासियों की अज्ञानता का फायदा उठा कर उनका शोषण करते हैं। जब भी आदिवासी सरकारी नीतियों की आड़ में हो रहे अन्याय पर सवाल खड़ा करते हैं तो उनके आंदोलन को प्रशासन बेरहमी से कुचल देता है। इस हिंसा के बाद उन्हें नक्सलवादी या चरमपंथी कहकर बदनाम किया जाता है।

मुन्नी हंसदा : अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती आदिवासी महिला की गिरफ्तारी

झारखंड के दुमका जिले में संताली नामक एक देशी समुदाय रहता है। इस समुदाय के लोग अपने आसपास के जंगलों में मौजूद विपुल प्राकृतिक संसाधनों से आजीविका अर्जित करते हैं। अपनी रोजी-रोटी के लिए ये लोग साल की पत्तियों जैसे लघु वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं और खाने व बेचने के लिए चावल की खेती करते हैं। 2005 में यहां एक ताप विद्युत संयंत्र लगाने की योजना पेश की गई थी जिसने इन आदिवासी समुदायों की शांतिपूर्ण जिंदगी को एक झटके में तहस-नहस कर दिया।

अनुमान लगाया जाता है कि सीईएससी-आरपी गोयनका ग्रुप के स्वामित्व वाला यह बिजलीघर 1000 मेगावॉट बिजली पैदा करेगा जिसमें से 75 प्रतिशत बिजली पश्चिम बंगाल को बेच दी जाएगी। झारखंड को केवल 25 प्रतिशत बिजली मिलेगी। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले 250-300 गांवों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। परियोजना के लिए 100 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की सूचना 2008 में जारी की गई थी। इस बिजली घर योजना का क्रियान्वयन लोगों की आजीविका के लिए एक तबाही लेकर आएगा और उनके अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। आदिवासी लोगों ने इस परियोजना के विरोध में आवाज उठाई और शासन को कई बार अपनी शिकायतें लिखकर भेजी हैं। लोगों के विरोध का गला घोंटने और उन्हें संसाधनों पर अपनी संप्रभुता से वंचित करने के लिए सरकार लगातार दमनकारी रास्ते पर चल रही है। 26 नवंबर 2008 को मुन्नी हंसदा को मोटरसाइकिल चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह इस अभियान का नेतृत्व कर रही थी। उन पर कई आरोप मढ़ दिए गए जिनमें एक यह था कि वह नक्सलवादी/माओवादी हैं। यह आरोप इसलिए लगाया गया ताकि उन्हें जमानत न मिल सके। इससे पहले अक्तूबर में कई हजार आदिवासियों ने तीन दिन तक पुलिस सुपरिटेंडेंट का घेराव किया था मगर क्योंकि यह एक शांतिपूर्ण विरोध था इसलिए पुलिस आदिवासियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कर पाई। मुन्नी की गिरफ्तारी शासन की ओर से बदले की कार्रवाई दिखाई देती है।

6 दिसंबर 2008 को मुन्नी हंसदा की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक जेल भरो आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में लगभग 8-10 हजार आदिवासियों ने दुमका सेंट्रल जेल तक जुलूस निकाला जहां मुन्नी हंसदा को रखा गया था। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण रैली पर भी गोली चलाई जिससे बहुत सारे लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए और लखीराम तुडू की मृत्यु हो गई। लखीराम तुडु को बिल्कुल सटा कर गोली मारी गई थी। सात लोगों को गोलियां लगीं और 15 लोग बुरी तरह पिटाई के कारण घायल हुए। घायलों में कई महिलाएं थीं। 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोग तभी से जेल में हैं और उनके मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। उन्हें भोजन और ईलाज की सुविधा तक नहीं मिल रही है। इस रैली में घायल हुए सेकट मरांडी को जंजीरों में बांधकर रखा गया है और उनका ईलाज नहीं करवाया जा रहा है। वह चलने-फिरने से भी लाचार थे जिसकी वजह से उनके घाव बुरी तरह से बढ़ते चले गए। आखिरकार ईलाज न मिलने की वजह से जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। शिवलाल सोरेने के दिमाग में एक गोली धंसी हुई है मगर वह भी जेल में बंद हैं। उनकी हालत काफी गंभीर है मगर उनकी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 12 है और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 353, 452, 188, 427, 504, 333, 341 और 342 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

जनवरी 2009 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अगले चुनावों तक के लिए राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके फलस्वरूप संबंधित शासन की ओर से किसी भी अपील या याचिका पर निश्चित उत्तर या प्रतिक्रिया आने की संभावना बहुत क्षीण हो गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोई अधिकृत जांच नहीं की गई है। इस बीच घायलों और जेल में पड़े लोगों की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। मुन्नी इस रिपोर्ट के पकाशन के समयए मुलनी रहने के बाद जमानत पर रिहा है

5.2.3 कर्नाटक

क्षेत्र	जिला बेल्लारी
अभियान	लौह अयस्क खनन के विरुद्ध तथा खान मजदूरों के अधिकारों के लिए अभियान
संगठन	सखी
कंपनी	.....
खनिज पदार्थ	लौह अयस्क

कर्नाटक का बेल्लारी जिला एक बड़ा खनन क्षेत्र है। राज्य भर में यह लौह अयस्क खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बेतहाशा खनन शुरू होने से पहले यह इलाका घने जंगलों और उपजाऊ जमीनों की वजह से काफी समृद्ध था। बार-बार आए सूखे और खेती के मशीनीकरण की वजह से खेतिहर मजदूरों को जिंदा रहने के लिए दूसरे स्रोतों की तरफ जाना पड़ा ओर इसके साथ ही इलाके में खनन गतिविधियों की बाढ़ आ गई जिसने जल्दी ही एक निरंकुश मुक्त बाजार का रूप ले लिया। आम मान्यता है कि यहां का खनन माफिया ही राज्य का शासन चलाता है। जैसे-जैसे लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने लगी और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बेहिसाब मुनाफा संकेंद्रित होने लगा वैसे-वैसे यहां का पर्यावरण और सामाजिक ताना-बाना अस्त-व्यस्त होने लगा। कुछ ही समय में मीलों लंबी खेतिहर जमीनों को लौह अयस्क की खानों में तब्दील कर दिया गया जिनमें महिलाएं, पुरुष और यहां तक कि बच्चे भी खान मालिकों और ठेकेदारों के रहमोकरम पर बेहद शोषणपरक और अमानवीय परिस्थितियों में काम करते थे। जब खनन गतिविधियां अपने शिखर पर थीं उस समय बेल्लारी में सबसे ज्यादा निजी वायुयान हुआ करते थे। दूसरी ओर यह जिला शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता जैसे मानव विकास संकेतकों के पैमाने पर बहुत नीचे आता है। यह इस बात का संकेत है कि जिले की विशाल आबादी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है।

बेल्लारी की महिला खनिक तथा मंदी के बाद की स्थितियां

बेल्लारी से आई एक प्रतिनिधि ने लौह अयस्क खानों में मंदी के बाद की परिस्थितियों में महिला खनिकों पर पड़ रहे दबावों के बारे में बताया। बेल्लारी में असंगठित महिला खनिकों की एक विशाल संख्या है जो बेहद शोषण भरी, खतरनाक और अस्वच्छ परिस्थितियों में जीती और काम करती है। बहुत मामूली मजदूरी के लिए ये महिलाएं लोडर और क्रशर के तौर पर रोज 10-10 घंटों तक खानों में काम करती हैं।

उनके लिए आवास, शौचालय, पीने के पानी या बालवाड़ियों की कोई सुविधा नहीं है। वे खान मालिकों, ठेकेदारों, अन्य पुरुष मजदूरों और यहां तक कि स्वयं अपने पतियों के हाथों यौन शोषण और शारीरिक दुराचार की शिकार बनती हैं। ये महिलाएं बहुत सारी बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं की भी शिकार हैं और उनके पास ईलाज की कोई सुविधा नहीं है।

वैश्विक बाजारों में आई ताजा मंदी और लौह अयस्क की मांग में गिरावट से इन महिला खनिकों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। गरीबी, सूखे और निरक्षरता की वजह से वे खनन गतिविधियों में आई थीं लेकिन आज उनके पास न तो खानों में मजदूरी का विकल्प है और न ही खेती बची है। वे जिंदा रहने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रही हैं।

हताश होकर बहुत सारी महिलाएं अब यही चाहने लगी हैं कि इलाके में खनन कार्य दोबारा शुरू हो जाएं क्योंकि जब उनकी जमीनों में खुदाई शुरू हुई थी तभी आजीविका के उनके सभी दूसरे साधन खत्म हो गए थे। खान मालिक और ठेकेदार मजदूरों के पुनर्वास के लिए या जमीन को सुधारने की किसी भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर गायब हो चुके हैं। आज खनन माफिया की जगह होटल माफिया ने ले ली है। अब इस इलाके में केमल राइड्स के विज्ञापन पूरे जिले में छा गए हैं।

हम अपनी नदियों, जमीनों, जंगलों, संस्कृति व आजीविका की रक्षा के लिए और इज्जत/मानवाधिकारों के साथ सामाजिक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम धरती मां के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

5.2.4 महाराष्ट्र

क्षेत्र	पुणे
अभियान	पत्थर एवं रोडी खदान मजदूरों के अधिकार
संगठन	संतुलन
कंपनी	.....
खनिज पदार्थ	पत्थर/ग्रेनाइट

पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य में नाना प्रकार के खनिज भंडार उपलब्ध हैं। लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयले, चूना पत्थर आदि मुख्य खनिज पदार्थों के अलावा यहां बहुत सारी पत्थर की खदानें भी हैं। तेज औद्योगीकरण और जनसंख्या वृद्धि के बाद यहां आवास, सड़कों और नागरिक सुविधाओं की भारी मांग पैदा हुई है जिससे निर्माण उद्योग की चांदी हो रही है। पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर प्रायः हाशियाई और निर्धन समुदायों के सदस्य होते हैं। इनमें से ज्यादातर भूमिहीन विस्थापित हैं जो सूखा, विस्थापन आदि विभिन्न कारणों से उजड़ कर यहां आए हैं और इन खदानों में मजदूरी करते हैं। ये असंगठित मजदूर हैं जो खदान मालिकों और ठेकेदारों के हाथों बेहिसाब शोषण और उत्पीड़न झेलते हैं। महिलाओं और बच्चों, खासतौर से किशोरियों के शोषण, उत्पीड़न की तो कोई सीमा ही नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि इन मजदूरों में किशोरियों की संख्या बहुत बड़ी है।

महाराष्ट्र से आई सहभागियों में एक महिला खान मजदूर और संतुलन नामक संगठन की एक कार्यकर्ता शामिल थी। सहभागियों ने इन खदानों के हालात के बारे में बताया : यहां महिलाओं को मुंह अंधेरे से लेकर शाम ढलने तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें मजदूरी में भेदभाव, यौन उत्पीड़न व अन्य समस्याओं का खूब सामना करना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं तरह-तरह की बीमारियों (सिलिकॉसिस, तपेदिक, निमोनिया, एनीमिया, पेट दर्द, पीठ दर्द, फेफड़ों की बीमारी, दुर्घटना तथा सुरक्षात्मक उपकरणों के अभाव में चोट) की शिकार हो चुकी हैं। बालवाड़ी न होने की वजह से छोटे-छोटे शिशु और बच्चे भी अपने मां-बाप के साथ इन खदानों में जाते हैं और उन सारी बीमारियों और खतरों की चपेट में रहते हैं जिनसे उनके मां-बाप जूझ रहे हैं। शिक्षा की उनके पास कोई उम्मीद नहीं है इसलिए वे घर के काम में ही पूरा समय बीता देते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे बहुत कम उम्र में ही मजदूर बन जाते हैं।

महिला खनिकों का सामूहिक आंदोलन और हस्तक्षेप

संतुलन (सोशल एनिमेशन टुवर्ड्स यूनाइटेड लिबरेटिव ऐक्शन) एक लाभ निरपेक्ष संगठन है। यह संगठन रचनात्मक विकास और हाशियाई समुदायों के रूपांतरण और नीतिगत ऐडवोकेसी के दोहरे उद्देश्य से काम कर रहा है। संतुलन के कार्यक्रमों में पाषाण शाला (खान मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल) के नाम से एक शैक्षिक कार्यक्रम भी शामिल है। संगठन ने महिलाओं के सबलीकरण, खान मजदूरों को संगठित करने, वैधानिक सहायता व परामर्श, स्वास्थ्य व पोषण, शोध एवं दस्तावेजीकरण एवं प्रकाशन के क्षेत्र में कई कार्यक्रम चलाए हैं।

संतुलन ने सबसे पहले महिलाओं को इकट्ठा किया था। अपने काम की शुरुआत में संगठन ने समुदायों में महिलाओं की सभाएं बुलाईं और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। संगठन ने उनसे सवाल किया : क्या वे अपने बच्चों को भी अपने जैसी जिंदगी देना चाहती हैं? महिलाओं के साथ कई मुलाकातों और चर्चाओं के बाद उनकी सोच में बदलाव आने लगा। महिलाओं ने पहले तो स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रूप में संगठित होना शुरू किया। इसके बाद इन समूहों को मिलाकर एक स्वतंत्र क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी (ऋण सहकारी सोसायटी) का गठन किया गया

जो आज स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं के नेतृत्व में चल रहा है। शराबखोरी की समस्या से निपटने के लिए महिलाओं ने मिलकर शराब व्यापारियों के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया और अपनी आबादी में शराब के उपभोग व बिक्री पर सामाजिक पाबंदी लगा दी। महिलाओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ती दर पर चीजें खरीदने के लिए राशन कार्ड के वास्ते आंदोलन चलाया और कुकिंग गैस सिलेंडरों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अब वर्कर्स कोऑपरेटिव आइडेंटिटी कार्ड जारी करते हैं जिससे मालिक और ठेकेदार खान में घायल होने वाले किसी मजदूर की जिम्मेदारी लेने से भाग न सकें। इसके जरिए महिलाएं यह सुनिश्चित कने में कामयाब रही हैं कि दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे व ईलाज की व्यवस्था जरूर हो।

खान मजदूरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के जरिए बीमा योजनाओं का भी लाभ उठाया गया है। वर्कर्स कोऑपरेटिव की ओर से खान स्थलों पर फर्स्ट एड किट, स्वास्थ्य शिविरों तथा रेफरल की भी व्यवस्था करवाई गई है क्योंकि आसपास कहीं कोई अस्पताल नहीं है। यहां किशोरियों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे उन्हें सिलाई-कढ़ाई जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा सकें। जो सिलसिला कभी महिलाओं के साथ घर-घर जाकर मुलाकातों से शुरू हुआ था वह आज 3000 से ज्यादा महिलाओं के कोऑपरेटिव का रूप ले चुका है। आज यह कोऑपरेटिव खान मजदूरों के तौर पर अपने अधिकारों के लिए सफलतापूर्वक लड़ रहा है।

संतुलन के प्रयासों से पाषाण शालाओं के रूप में एक अभिनव शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खान मजदूरों के बच्चों को सार्थक शिक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना था कि उनके बच्चे बाल मजदूर बनकर न रह जाएं। यह स्कूल स्वयं खानों के बीच खोले गए और यहां बिना किसी दस्तावेजी सुबूत के और साल में कभी भी बच्चों को दाखिला दिया जाता है। इन स्कूलों में अपरान्ह भोजन योजना भी शुरू की गई है जिससे बच्चों को पोषक आहार मिलने लगा है।

संतुलन, स्वयं सहायता समूहों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी और समर्पित कार्यकर्ताओं की कोशिशों से अब मजदूर पहले से ज्यादा जागरूक हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में निश्चित रूप से सुधार आया है। इससे महिला कामगारों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और उन्हें विश्वास है कि वे अब अपने लिए और ज्यादा अधिकार व सामाजिक सुरक्षा अर्जित कर सकती हैं। मसलन, अब वे उन विधवाओं के लिए पेंशन की मांग कर सकती हैं जिनके पति खानों में काम करते हुए मारे गए थे।

5.2.5 उड़ीसा

क्षेत्र	काशीपुर एवं नियामगिरी
अभियान	बॉक्साइट खनन विरोधी अभियान
संगठन	उड़ीसा आदिबासी मंच/नियामगिरी सुरक्षा मंच/बाफलीमल सुरक्या समिति/अंकुरण/ सुसुबहुमाली सुरख्या समिति
कंपनी	यूएआईएल/स्टरलाइट-वेदांता
खनिज पदार्थ	बॉक्साइट

उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और यहां के जंगलों में एक विशाल देशी जनजातीय आबादी रहती है। इस राज्य में बॉक्साइट, लौह अयस्क, क्रोमाइट और मैंगनीज जैसे खनिज संसाधनों के भी विशाल भंडार हैं। उड़ीसा के सहभागी दो इलाकों से आए थे -- एक बाफलीमल पहाड़ी क्षेत्र, काशीपुर ब्लॉक, रायगड़ा जिले से तथा दूसरे, नियामगिरी पहाड़ी क्षेत्र, लांजीगढ़ तथा काला हांडी जिले से।

काशीपुर में बॉक्साइट खनन के खिलाफ अभियान

काशीपुर में स्थानीय समुदाय उत्कल एल्युमिना इंटरनैशनल लिमिटेड (यूएआईएल) की बॉक्साइट खनन एवं एल्युमिना रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यूएआईएल की स्थापना 1992 में की गई थी और अब यह हिंदुस्तान एल्युमीनियम कॉरपोरेशन (आदित्य बिरला समूह का हिस्सा) तथा कनाडा की कंपनी एल्युमीनियम कंपनी ऑफ कनाडा (एलकॉन) का एक संयुक्त उद्यम है। नॉर्वे की कंपनी नॉर्स्क हाइड्रो का भी इस कंपनी में हिस्सा था मगर साल 2000 में उसने इस कंपनी से अपना पल्ला झाड़ लिया क्योंकि नॉर्वे में इस कंपनी को उड़ीसा में मानवाधिकारों में उसकी हिस्सेदारी के कारण भारी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। काशीपुर के आदिवासी बाफलीमाली पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इन पहाड़ियों को वे

पवित्र मानते हैं। खनन गतिविधियों के खिलाफ उनका यह संघर्ष पिछले 16 साल से जारी है। इस आंदोलन पर सरकार ने भारी दमन किया है जिसके चलते दिसंबर 2000 में मैकांच में हुई पुलिस फायरिंग में तीन लोग मारे भी गए थे। सरकारी जोर-जबर्दस्ती और कंपनियों व पुलिस की हिंसा के बावजूद लोग अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। दूसरी ओर कंपनी ने भी अपने कामों को विस्तार देने के लिए आवेदन डाल दिया है।

कंसल्टेशन में आयी एक सहभागी ने बताया कि उनके खिलाफ किस तरह झूठे मुकदमे दायर कर दिए गए हैं और इसकी वजह से वे कई महीने जेल में बिता चुके हैं। आज भी उनके समुदाय के बहुत सारे लोग हत्या और चोरी जैसे झूठे आरोपों में जेलों में बंद हैं। कंपनी ने अने फूटपरस्त हथकंडों से समुदाय में भी बिखराव पैदा कर दिया है। कंपनी ने समुदाय के कुछ लोगों को पैसे देकर अपना एजेंट बना लिया है जो कंपनी को लोगों के अभियानों और योजनाओं के बारे में जानकारियां देते हैं। कंपनी ने रिफाइनरी स्थल के चारों तरफ एक चारदीवारी बनाई थी जिससे तीन गांव और 125 परिवार विस्थापित हुए थे। मुआवजा लेकर चले जाने वाले परिवार भी अब वापस लौट आए हैं क्योंकि उन्हें आवास, स्कूल और नौकरियों के जो आश्वासन दिए गए थे वे सब झूठे साबित हुए हैं। उन्हें जो मकान दिए गए वे बहुत छोटे थे। उनमें इतनी जगह भी नहीं थी कि वे अपने जानवरों को रख सकें। उन्हें सिर्फ दिहाड़ी मजदूर के रूप में रोजगार मिले। मुआवजे का पैसा ज्यादा दिन नहीं चल पाया और कई बार पुरुषों की शराबखोरी पर खत्म हो गया था। आज मुआवजे ले चुके लोग इस बात को समझने लगे हैं कि उनको झांसा दिया गया था इसलिए वे भी लौट कर संघर्ष में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जो पहली कार्रवाई की उसमें उन्होंने रिफाइनरी के फाटक पर ताला लगा दिया जिससे कंपनी के अधिकारी भीतर नहीं जा सकते थे। बाफलीमल सुरक्या समिति, सुसुबहुलमाली सुरख्या समिति और अंकुरण ने उड़ीसा आदिबासी मंच के साथ मिलकर लोगों के इस अभियान में लगातार सहायता दी है।

नियामगिरी में बॉक्साइट खनन के खिलाफ अभियान

नियामगिरी में डोंगरिया कोंड समुदाय की महिलाएं अपनी जमीन और पवित्र पहाड़ियां छोड़ कर नहीं जाना चाहती। परंतु वेदांता रिसोर्सेज़ की भारतीय साझीदार कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज अपने धन और बाहुबल के सहारे उड़ीसा के शासन तंत्र को तमाम मानवाधिकारों व संवैधानिक अधिकारों के हनन के लिए बाध्य किए हुए है। पुलिस वाले तथा कंपनी के गुंडे औरतों को भी पीटने से बाज नहीं आते। बॉक्साइट के विशाल भंडारों वाला नियामगिरी पहाड़ी क्षेत्र प्राचीन डोंगरिया कोंड समुदाय का एक पवित्र इलाका है। इस इलाके में बॉक्साइट खनन के समझौते पर उड़ीसा सरकार और लंदन स्थित कंपनी वेदांता रिसोर्सेज़ के बीच 1997 में दस्तखत हुए थे। 2003 में वेदांता रिसोर्सेज़ ने लांजीगढ़ में एक एल्युमिना रिफाइनरी लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ एक और समझौते पर दस्तखत किए। इस परियोजना के लिए भी जमीन का अधिग्रहण शुरू किया गया था। परियोजना की शुरुआत से ही शासन के साथ मिलकर कंपनी मानवाधिकार हनन के बहुत सारे मामलों में सक्रिय रही है। उसने अवैध तरीकों से वन एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस भी ले ली है। नॉर्वे के वित्त मंत्रालय ने इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए 2007 में इस कंपनी को नॉर्वेजियन पेंशन फंड से बाहर कर दिया था। उसी साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बॉक्साइट खनन से संबंधित अपने फैसले में कहा था कि वेदांता को खनन का अधिकार नहीं दिया जा सकता। परंतु आगे उसने यह कहकर खुद ही अपने फैसले को कमजोर कर दिया कि वेदांता की भारतीय साझीदार -- स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को खनन का अधिकार दिया जा सकता है।

इस बीच प्रभावित आदिवासी समुदाय कंपनी और सरकार के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष छेड़े हुए हैं ताकि अपनी पहाड़ियों और आसपास के जंगलों की हिफाजत कर सकें। कंसल्टेशन में आई एक प्रतिनिधि ने सवाल पूछा कि जब सरकार खुद ही मान चुकी है कि उसके पास आदिवासियों को पुनर्वास देने के लिए कोई जमीन नहीं है तो वह निजी कंपनियों को जमीन कैसे दे देती है।

5.2.6 राजस्थान

क्षेत्र	उदयपुर जिला
अभियान	पत्थर एवं रोड़ी मजदूरों के अधिकार
संगठन	एमएलपीसी
कंपनी	.....
खनिज पदार्थ	पत्थर, संगमरमर/ग्रेनाइट

राजस्थान में किसी भी राज्य से ज्यादा लघु एवं प्रमुख खनिज पदार्थों के खनन लाइसेंस और खदान पट्टे जारी किए गए हैं। इन खानों में मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या काम करती है। उनमें से एक बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की हैं जो भयानक अमानवीय परिस्थितियों में पिस रहे हैं।

राजस्थान की पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर खदानों में काम करने वाली महिला खनिकों तथा माइन लेबर प्रोटेक्शन कैम्पेन (एमएलपीसी) की संयोजक ने इन खदानों में महिलाओं की कार्य परिस्थितियों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। राजस्थान में बार-बार आए सूखे ने एक विशाल आबादी को खेती छोड़कर खान मजदूर बनने के लिए विवश किया है। ऐसे समुदायों की महिलाएं दूर-दूर से बेहद खतरनाक परिस्थितियों में मजदूरी करने आती हैं और उनके पास सुरक्षात्मक पोशाक या गर्मी-सर्दी से बचने की कोई व्यवस्था नहीं होती। उन्हें पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा लंच के लिए छुट्टी मिलती है। बच्चों की देखभाल का कोई इंतजाम न होने की वजह से बच्चों को भी अपनी मांओं के साथ कार्यस्थल पर रहना पड़ता है जिससे वे भी खतरनाक परिस्थितियों की चपेट में आ जाते हैं। बिना चेतावनी दिए चट्टानों में हुए विस्फोटों के कारण बहुत सारे मजदूर घायल हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों की भी सुनने की ताकत खत्म हो गई है। टीबी और सिलिकॉसिस जैसी कई बीमारियां मजदूरों में फैल रही है मगर मालिकों की ओर से कोई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। देश भर में फैली दूसरी खदानों की तरह यहां भी पानी या शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का नितांत अभाव है। महिला खनिकों सहित यहां के मजदूरों की एक बड़ी समस्या यह है कि उनके पास पहचान पत्र नहीं हैं जिससे वे यह साबित कर सकें कि वे किस खदान में काम करते हैं। इसकी वजह से वे खान मालिकों के हाथों शोषण के शिकार होते हैं और दुर्घटना की अवस्था में मालिकों की कोई जवाबदेही नहीं रहती। दुर्घटना या मौत की स्थिति में मजदूरों को मुआवजे या आर्थिक सहायता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खान मालिक या ठेकेदार सिर्फ मुनाफा चाहते हैं इसलिए वे हर संभव ढंग से इन निरक्षर मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूरों को जिस मजदूरी का आश्वासन दिया जाता है वह उन्हें कभी नहीं मिलती। खान मालिक श्रम विभाग के पास असली संख्या के मुकाबले बहुत कम मजदूरों को पंजीकृत करवाते हैं जिससे वे न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से बच सकें। मजदूरी में भी खूब भेदभाव है।

औरतों को मर्दों से कम मजदूरी दी जाती है। खान मालिकों का दावा है कि पुरुष ज्यादा भारी काम करते हैं इसलिए उन्हें ज्यादा मजदूरी दी जाती है लेकिन महिलाओं का कहना है कि यह बात सच नहीं है। मजदूरी की दर या भुगतान में पारदर्शिता की भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। कोई रिकार्ड न होने की वजह से मजदूरों को अकसर वास्तविक अवधि के मुकाबले कम घंटों की मजदूरी दी जाती है। पुरुषों में शराबखोरी बड़े पैमाने पर है और महिलाएं अपने घरों में भी भारी उत्पीड़न व हिंसा झेलती हैं। शराब की दुकानें भी ठेकेदारों के हाथ में हैं जिससे उन्हें दोनों तरफ से फायदा होता है।

महिला खान मजदूरों के अधिकारों का अभियान

एमएलपीसी का काम महिला खनिकों के सबलीकरण और सहायता सहित कई तरह के विषयों से संबंधित है। एमएलपीसी ने महिला खनिकों को स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद दी और कोऑपरेटिवों में उनकी सहभागिता को बढ़ावा दिया है। इन कोऑपरेटिवों में खान मजदूर इकट्ठा होकर मुनाफे के लिए गतिविधियां चलाते हैं। इन गतिविधियों में अपने श्रम से जो लाभ मिलता है उसे सभी सदस्यों में बराबर-बराबर बांट दिया जाता है। इसके चलते खान मजदूर भी खनिज संसाधनों के मालिक बन गए हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का एक समूह होता है जिसके माध्यम से वे अपने अधिकारों की रक्षा करती हैं, कोऑपरेटिव की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं और आयवर्धक गतिविधियों के लिए कर्जे देती हैं। संगठन की

मुख्य रणनीति स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं के साथ एक संवाद की प्रक्रिया शुरू करने पर केंद्रित रहती है। एमएलपीसी का एक और महत्वपूर्ण हस्तक्षेप बाल मजदूरी की समस्या खत्म करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर केंद्रित रहा है। कंसल्टेशन में आई एक सहभागी, जो पहले खुद खान मजदूर थी, अब एक बालवाड़ी का जिम्मा संभालती है जहां खान मजदूरों के बच्चों को रखा जाता है। इन बालवाड़ियों में बच्चों की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई और पोषण का खयाल रखा जाता है। एमएलपीसी ने खानों के मालिकाने में धोखाधड़ी, खान के पट्टों तथा मजदूरों के शोषण से संबंधित मुकदमों में भी मजदूरों को मदद दी है। यह जानकारी कंसल्टेशन में आई एक सहभागी ने दी जिसके पति के खनन पट्टे को एक बेनामी पट्टे के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था।

5.2.7 तमिलनाडु

क्षेत्र	तूतीकोरिन
अभियान	तांबा प्रगलन संयंत्र के खिलाफ अभियान
संगठन	वीरांगनाई
कंपनी	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
खनिज पदार्थ	तांबा

दक्षिण भारत में स्थित तमिलनाडु में खनिज पदार्थों के विशाल भंडार हैं। यहां लिग्नाइट बड़े पैमाने पर पाया जाता है।

तूतीकोरिन में वेदांता ग्रुप की साझीदारी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तांबा प्रगलन संयंत्र 1995 में स्थापित किया गया था। उस समय इस परियोजना का लोगों ने जमकर विरोध किया था और समुदाय के साथ इस बारे में कभी कोई संवाद नहीं किया गया। शुरू से ही कंपनी तमाम तरह के उल्लंघनों की दोषी रही है। संयंत्र के स्थान से लेकर उत्पादन क्षमता और विषैले कचरे के निपटारे तक कंपनी ने बार-बार कानूनों का उल्लंघन किया है। इस कंपनी ने समुदायों के भीतर भी तनाव पैदा कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी ने सभी राजनीतिक दलों को खुश रखने का तरीका ढूंढ लिया है जिसके चलते उसके कामकाज की कोई आलोचना नहीं होती। यहां तक कि कंपनी ने मीडिया और उनके परिजनों के लिए पिकनिक और सैर-सपाटे की भी व्यवस्था की है ताकि मीडिया उसके अपराधों पर उंगली न उठाए। न केवल कंपनी अपने संयंत्र में होने वाले दुर्घटनाओं पर पर्दा डाल देती है बल्कि उसने शहर के भीतर ही विषैले कचरे के ढेर इकट्ठा कर दिए हैं जिससे लोगों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो रहा है। पूरे शहर में बड़े-बड़े होर्डिंग्स के जरिए कंपनी को पर्यावरण सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के पालन के नाम पर पुरस्कार पाने के लिए बधाई दी जा रही है। तूतीकोरिन में कैंसर रोगियों का अनुपात सबसे ज्यादा है। राज्य के दूसरे हिस्सों में दुर्लभ बीमारियों के लिए जो दवाइयां मुश्किल से मिल पाती हैं वे इस इलाके में आसानी से उपलब्ध हैं क्योंकि वहां उनकी खपत बहुत ज्यादा हो गई है।

तूतीकोरिन में तांबा प्रगलन के विरुद्ध अभियान

वीरांगनाई का मतलब होता है 'साहसी स्त्री'। यह संगठन शुरू से ही स्टरलाइट के विरोध में अभियान चलाता आ रहा

है। संगठन ने छोटी-छोटी नौकाओं के जरिए समुद्र में तांबा ढोने वाले जहाजों को रोका है, एमएमएलपी जैसे राष्ट्रीय नेटवर्कों को इस कंपनी के कारनामों के बारे में जानकारी दी है। इस तरह वीरांगनाई ने कंपनी द्वारा कानूनों के उल्लंघन को सामने लाने का हर संभव प्रयास किया है। अतीत की गलतियों से सबक सीखते हुए संगठन स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक कंपनी के खिलाफ अभियान चलाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है।

5.3 इंडोनेशिया

इंडोनेशिया

क्षेत्र	बुयात बे (बुयात खाड़ी)
अभियान	बुयात बे में स्वर्ण खनन के विरुद्ध अभियान
संगठन	जतम (जेएटीएएम)
कंपनी	पीटी न्यूमोंट मिनाहासा राया
खनिज पदार्थ	सोना

बुयात बे इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के उत्तर में मिनाहासा पठार के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस खाड़ी के किनारे पर रहने वाला स्थानीय समुदाय मुख्य रूप से मछली पकड़ता है। 1996 से अगस्त 2004 में कामकाज बंद होने तक इस खाड़ी को पीटी न्यूमोंट मिनहासा राया द्वारा संचालित मेजल गोल्ड माइन के लिए कचरा निपटारा स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पीटी न्यूमोंट मिनहासा राया वास्तव में अमेरिका की न्यूमोंट माइनिंग कॉरपोरेशन के 80 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस कंपनी ने खान से खाड़ी तक विषैला द्रव्य फेंकने के लिए एक पाइपलाइन बनाई थी और जब से काम चालू हुआ है तब से यह कंपनी 40 लाख टन से ज्यादा गंदा द्रव्य खाड़ी में फेंक चुकी है।

कंपनी ने जब अपना काम शुरू किया था उसके तीन महीने के भीतर ही बुयात खाड़ी में रहने वाले समुदायों ने इस बात पर चिंता जतानी शुरू कर दी थी कि खाड़ी में मछलियां मर रही हैं। इसके बाद साल-दर-साल वहां मछली उत्पादन गिरता गया और मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गईं। नब्बे के दशक के आखिर तक आते-आते लोग अकसर बीमार पड़ने लगे थे। 2004 तक स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। लोग तरह-तरह की अनजानी बीमारियों के शिकार बनने लगे थे। बहुत सारे लोग त्वचा रोगों, शरीर में कंपन, सिर दर्द, गले, पिंडलियों, कलाई, नितंबों और सिर में अजीबोगरीब सूजन जैसी नई बीमारियों के शिकार हुए। नवजात शिशुओं को रक्तस्राव होने लगा था और ज्यादातर शिशु त्वचा रोगों की चपेट में आ रहे थे। कई प्रकार के मस्तिष्क विकार, पाचन एवं श्वास संबंधी विकार भी देखने में आए। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए अनुसंधानों से पता चला कि पानी में आर्सेनिक और पारे का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से पूरे समुदाय की जिंदगी खतरे में पड़ती जा रही थी। पेयजल स्रोत बुरी तरह दूषित हो गए थे और घरेलू जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी प्रदूषित था। खाड़ी क्षेत्र और बुयात गांव, दोनों जगह रहने वाले समुदाय इन समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे जबकि बुयात गांव तो खाड़ी से एक किलोमीटर दूर था। वहां के लोग भी इन समस्याओं से आजाद नहीं रह पाए। औरतों को इस संकट का सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ा। उनकी सेहत और आजीविका, दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था।

1-3 : आदिवाशी समुदायों के जीवन की कीमत पर खनन कंपनियों को दिए गए जमीन के पट्टे।

4 : संरक्षित क्षेत्रों में भी खनन पट्टे फैल रहे हैं।

5-8 : संबंधित पक्षों के साथ संबंधों और विभिन्न स्तरों पर नेटवर्किंग के जरिए जागरूकता के लिए डीपीए का अभियान

1-2 : खनन गतिविधियों के कारण खतरे में पड़ते हरित क्षेत्र

3 : एक जनसुनवाई में तैनात पुलिस बल।

4 : खनन उद्योग के खिलाफ आंदोलन करती आदिवाशी महिलाएं।

5-8 : खान एवं पत्थर मजदूर जो पीने के पानी, आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना खतरनाक परिस्थितियों में काम करनेवाली महिलाएं।

1-3 : समृद्ध प्राकृतिक संसाधन आधार। **4 :** पोटाश खानों से निकला विषैला कचरा।

5-10 : उडोंग थानी पोटाश खनन विरोधी अभियान

1-5 : हुगाँग घाटी में स्वर्ण खनन के फलस्वरूप पर्यावरणीय विखंडन एवं सामाजिक दुष्परिणाम (नशीले पदार्थों का सेवन और व्यापार)

6 : वादी महिला
7 : आदिवाशी महिलाओं की सभा
8 : दिदिपो का निर्माण
9 : दिदिपो में जल संसाधनों पर मंडराता खतरा

अगस्त 2004 में इंडोनेशियाई पर्यावरण मंत्रालय ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और उस पर आरोप लगाया कि वह खाड़ी को प्रदूषित कर रही है तथा लोगों के जीवन को जोखिम में डाल रही है। अदालत ने तकनीकी आधार पर यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि सरकार ने खुद ही न्यूमोंट के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है। इस दौरान न्यूमोंट लगातार यही दलील देती रही कि इस इलाके में पैदा हो रही बीमारियां गंदगी और समुदाय की गरीबी का परिणाम है। जून 2005 में बुयात बे के 75 में से 66 परिवारों ने 100 किलोमीटर दूर डूमीनागा में बसने का फैसला लिया। समुदाय का कहना है कि अपने मूल निवास स्थल और मछुवाही इलाके से विस्थापन एक गहरे सदमे का स्रोत रहा है मगर इससे उनकी बीमारियों में निश्चित रूप से कमी आई है। दिसंबर 2005 में सरकार ने कंपनी के साथ अदालत के बाहर समझौते का प्रस्ताव रखा जिसके परिणामस्वरूप ये तय किया गया कि मुआवजे के रूप में 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाएगा और इस पैसे को अगले 10 साल के दौरान सामुदायिक विकास पर खर्च किया जाएगा। अप्रैल 2007 में न्यूमोंट के आला अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया और इंडोनेशियाई न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कंपनी ने सभी पर्यावरण मानकों का पालन किया है और अपने कामकाज के दौरान कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाया।

बुयात खाड़ी में स्वर्ण खनन के खिलाफ अभियान

जतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुयात खाड़ी में लोगों की दुर्दशा को सामने लाने के लिए अभियान चला रहा है। जतम ने जागरूकता फैलाने और समुदाय के क्षमतावर्धन के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं। दूसरे स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर जतम ने यह पता लगाने के लिए अनुसंधान किया कि जो नई बीमारियां फैल रही हैं उनका क्या कारण है। इस अभियान में बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए गए। इस प्रयास के फलस्वरूप तथा समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तात्कालिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला लिया। अपने अभियान में जतम ने महिलाओं के सबलीकरण में सहायता दी है जिससे वे भी खनन गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा सकें। बुयात बे की महिलाओं ने आदान-प्रदान कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। इन कार्यक्रमों में उन्हें ऐसे गांवों में जाने का मौका मिला जहां खनन गतिविधियां शुरू होने वाली थीं। वहां उन्होंने स्थानीय लोगों, खासतौर से महिलाओं को इस बारे में आगाह किया कि अगर उनके इलाके में खनन कार्य शुरू हुए तो किस तरह के परिणाम पैदा हो सकते हैं। खनन उद्योग के विषय में अपने निजी अनुभव बताते हुए ये महिलाएं इस बात के लिए लगातार अभियान चला रही हैं कि दूसरे इलाके की महिलाओं को उनके जैसी हालत से न गुजरना पड़े। जतम के अभियान को विभिन्न देशों और संगठनों से भी मदद मिली है। क्योंकि न्यूमोंट अमेरिकी कंपनी थी इसलिए अमेरिकी दूतावास से भी मदद मांगी गई और इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली। दूतावास ने इंडोनेशियाई सरकार को पत्र लिख कर कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि कंपनियां अपने देश के कानूनों के पालन में कोई ढील न रखें। परंतु इस कोशिश से व्यावहारिक धरातल पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। अमेरिकी सरकार ने इंडोनेशिया में न्यूमोंट की गैरकानूनी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर इंडोनेशियाई सरकार भी अमेरिकी सरकार से किसी तरह का झगड़ा मोल लेने से कतराती है। लिहाजा, उसने समुदाय को आश्वासन दिया है कि उन्हें शोषक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह आश्वासन भी सिर्फ जबानी जमा-खर्च साबित हुआ है। इंडोनेशियाई सरकार अभी भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में नए खनन पट्टे जारी करती जा रही है। दूसरी ओर जतम भी इंडोनेशिया के टापुओं पर छोटी-बड़ी खनन गतिविधियों को रोकने के लिए दूसरे संगठनों के साथ मिलकर नई रणनीतियां विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

5.4 म्यांमार

म्यांमार

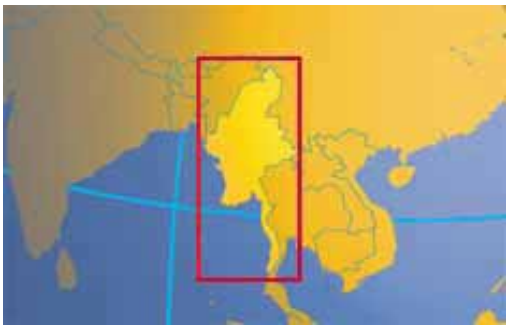

क्षेत्र	हुगोंग घाटी
अभियान	स्वर्ण खनन विरोधी अभियान
संगठन	केडीएनजी
कंपनी	.....
खनिज पदार्थ	सोना

म्यांमार के उत्तरी काचिन राज्य में स्थित हुगोंग घाटी स्वर्ण खनन परियोजनाओं की वजह से तहस-नहस हो चुकी है। इस व्यवसाय ने इलाके के पर्यावरण और समुदाय, दोनों को बुरी तरह तबाह कर दिया है। स्टेट पीस ऐण्ड डेवलेपमेंट काउंसिल (एसपीडीसी) के नियंत्रण में आने वाला यह इलाका दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। इस टाइगर रिजर्व को अमेरिकी संस्था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसायटी की सहायता से स्थापित किया गया था। 1994 में सैनिक जुंटा और काचिन स्वतंत्रता संगठन के बीच हुए युद्ध विराम के बाद इस इलाके में सैनिक उपस्थिति लगातार बढ़ती गई है। यहीं से घाटी के पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का लगातार क्षरण शुरू हुआ। सेना ने बहुत सारे मकानों और जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। अब तक यहां छोटे पैमाने पर और मामूली औजारों के साथ खनन गतिविधियां चलती थीं और उनका क्षेत्रफल बहुत छोटा था। युद्ध विराम के बाद बहुत थोड़े ही समय में 31 विशाल क्षेत्रों में सोने की खुदाई होने लगी जिससे न केवल पर्यावरण नष्ट हुआ बल्कि समुदायों का सामाजिक ताना-बाना भी तार-तार हो गया।

स्वर्ण खनन के लिए इस्तेमाल होने वाले पारे से समुदाय के लोगों की सेहत पर गहरे असर पड़े हैं। घाटी के लोगों के पास इन विनाशकारी प्रभावों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। वे पीने, नहाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पानी का ही इस्तेमाल करते हैं मगर वह बुरी तरह दूषित हो चुका है। पेड़ मरने लगे हैं और जल स्रोत पारे की मिलावट के कारण बुरी तरह दूषित हैं।

एसडीपीसी तथा खनन कंपनियों के गठजोड़ की वजह से सारा मुनाफा सैनिक जुंटा के खजाने में जा रहा है जबकि समुदाय को कुछ हाथ नहीं लगता। मूल रूप से इस इलाके में काचिन, शान और नागा कबीले रहा करते थे मगर खनन परियोजनाएं शुरू होने के बाद यहां बड़ी तादाद में बाहर के लोग आ बसे हैं और अब इस घाटी की आबादी 70,000 को पार कर गई है।

खनन गतिविधियों की वजह से महिलाओं पर खास तौर से असर पड़ा है। उनके पास न तो आजीविका के दूसरे विकल्प हैं और न ही उच्च शिक्षा की संभावना है इसलिए उन्हें पेट भरने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ रहा है। जुआघर और मसाज पार्लर बेरोक-टोक पनपते जा रहे हैं जिन्होंने असंख्य किशोरियों को देह व्यापार में धकेल दिया है। चिंता का एक सबब यह है कि यहां नशे की लत बहुत बढ़ गई है। युवाओं में यह समस्या सबसे ज्यादा है। यहां की 80 प्रतिशत आबादी अफीम और कम से कम 30 प्रतिशत आबादी हेरोइन का सेवन करती है। इसका मतलब है कि तकरीबन हर परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय प्रशासन समस्या को हल करने के लिए कुछ खास नहीं कर रहा है।

बल्कि ऐसा लगता है कि वह नशीली दवाइयों के व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। हर जगह इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन और सुइयां बिखरी हुई हैं जिनसे भारी खतरा पैदा हुआ है। इस इलाके के सामान्य नागरिकों में एचआईवी/एड्स की समस्या बहुत ज्यादा है। सैनिक अधिकारियों में भी बहुत सारे लोग इस प्राणघातक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मरीजों के ईलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई व्यवसथा नहीं है। घाटी में केवल एक अस्पताल है और ज्यादातर आबादी इतनी गरीब है कि वह अपना ईलाज कहीं और नहीं करवा सकती। हालांकि म्यांमार में खनन कानून

मौजूद हैं मगर सैनिक शासन इन कानूनों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं करता।

हुगोंग घाटी में स्वर्ण खनन के खिलाफ अभियान

काचिन डेवलेपमेंट नेटवर्किंग ग्रुप (केडीएनजी) समुदाय में लंबे समय से सक्रिय रहा है। युवाओं के बीच संगठन का विशेष प्रभाव है। संगठन लोगों को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है, उनके लिए प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाता है जिससे वे नशीली दवाओं के सेवन से बच सकें। संगठन के लोग ऐक्शन रिसर्च और रिपोर्टों का प्रकाशन करते हैं जिससे सेना तथा खनन कंपनियों द्वारा काचिन राज्य में पैदा की गई भयानक तबाही को दुनिया की नजर में लाया जा सके। म्यांमार सरकार महिला विरोधी भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) पर दस्तखत कर चुकी है इसलिए केडीएनजी महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण की घटनाओं व साक्ष्यों को दर्ज कर रहा है ताकि उनकी दुर्दशा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र की नजर में लाया जा सके।

5.5 फिलीपींस

फिलीपींस

क्षेत्र	बारांगे दिदिपीयो, कासीबू नगरपालिका, नूएवा वित्सकाया/मैरिनड्यूक, मिमारोपा क्षेत्र, लूजोन
अभियान	स्वर्ण खनन एवं तांबा खनन विरोधी अभियान
संगठन	लीगल राइट्स ऐण्ड नेचुरल रिसोर्सेज़ सेंटर-कासामा सा कालीकासान/फ्रेंड्स ऑफ दि अर्थ फिलीपींस
कंपनियां	ओसियान गोल्ड कॉरपोरेशन/प्लेसर डोम मार्कोपर माइनिंग कॉरपोरेशन (अब बैरिक कंपनी का हिस्सा)
खनिज पदार्थ	सोना/तांबा

दिदिपीयो समुदाय का ओसियाना गोल्ड कॉरपोरेशन के खिलाफ संघर्ष

बारांगे दिदिपीयो के समुदाय ऑस्ट्रेलिया की ओसियाना गोल्ड कारपोरेशन के खिलाफ एक लंबे संघर्ष में जूझ रहे हें। ऑस्ट्रेलिया की यह कंपनी सोने और तांबे का खनन करती है। ओसियाना गोल्ड ने नवंबर 2006 में क्लाइमेक्स माइनिंग के साथ विलय के जरिए दिदिपियो तांबा एवं स्वर्ण परियोजना का अधिग्रहण किया था। यहां के स्थानीय समुदायों में ज्यादातर किसान और छोटे खनिक हैं जो साठ के दशक में कॉर्डिलेरा से इस इलाके में आए थे और तब से यहीं रह रहे हैं। 1944 में फिलीपींस सरकार ने इस इलाके के 37,000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनिज पदार्थों की खुदाई के लिए कंपनी (उस समय क्लाइमेक्स माइनिंग) के साथ एक वित्तीय एवं तकनीकी समझौता किया था। सरकार ने सामुदायिक अधिकारों की उपेक्षा करते हुए दावा किया कि क्योंकि वहां रहने वाले देसी समुदाय बाहर से आए प्रवासी हैं इसलिए उन पर एफपीआईसी की अवधारणा लागू नहीं होती। 1995 में खनन अधिनियम लागू किया गया और 1997 में संयुक्त राष्ट्र देसी समुदाय अधिकार घोषणा पत्र के प्रावधानों की तर्ज पर देसी समुदाय अधिकार अधिनियम (आईपीआरए) पारित किया गया। सिद्धांततः आईपीआरए देशी समुदायों के एफपीआईसी अधिकारों को मान्यता देने वाला एक बहुत ही प्रगतिशील कानून है और इसमें प्रावधान किया गया है कि लोगों की स्पष्ट सहमति के बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती।

परंतु कंपनी का तर्क है कि क्योंकि उसका अनुबंध इन कानूनों से पुराना है इसलिए ये दोनों कानून उस पर लागू नहीं होते। कंपनी का कहना है कि सरकार के साथ उसका समझौता इन दोनों कानूनों से ऊपर है। 2004 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गए एक मुकदमे के आधार पर अदालत ने अपने फैसले में व्यवस्था दी कि क्योंकि क्लाइमेक्स माइनिंग एक विदेशी कंपनी है इसलिए उसे इस इलाके में

खनन कार्यों की छूट नहीं दी जा सकती। 10 महीने बाद अदालत ने अपने ही फैसले को उलट दिया और कहा कि विदेशी नागरिकों/कंपनियों को भी फिलीपींस की जमीन पर खनन गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है।

इसके बाद स्थानीय लोगों पर मुकदमे लाद दिए गए। उन पर आरोप लगाया गया कि वे जंगलों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं और ऐसा करना फिलीपींस के कानून में एक अपराध है। जनवरी 2007 में कंपनी ने फिलीपींस राष्ट्रीय पुलिस और सेना की मदद से लोगों के मकान गिराना शुरू कर दिया। कंपनी और सरकार का कहना था कि पुलिस और सेना शांति स्थापना के लिए काम कर रही है मगर वास्तव में वे मकान गिराने में कंपनी की सहायता कर रहे थे। फरवरी 2007 में लोगों ने अदालत में याचिका दायर करके मांग की कि मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। अदालतों ने उनके अधिकारों को मान्यता देते हुए इस कार्रवाई को रुकवा दिया।

2007 के मध्य में प्रांतीय सरकार और गवर्नर ने लोगों के समर्थन में बयान दिए और कहा कि वे कंपनी के अधिकारियों को अपने प्रांत में नहीं घुसने देंगे। प्रांतीय सरकार ने परियोजना पर अपनी सहमति रद्द करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। आखिरकार दिसंबर 2008 में कंपनी ने यह कहते हुए एक प्रेस वक्तव्य जारी किया कि कंपनी पर 'देखभाल और गुजारे-भत्ते' का जिम्मा है और वह दिदिपियो में अपने कामकाज बंद कर रही है। कंपनी ने कहा कि परियोजना से हाथ खींचने के पीछे वित्तीय संकट भी एक मुख्य कारण है।

24 मार्च 1996 को मेरीनड्यूक में प्लेसर डोम की कंपनी में एक बड़ा हादसा हुआ था। 24 किलोमीटर लंबी बोआत नदी कंपनी के गंदे पानी के रिसाव से गंभीर तौर पर प्रदूषित हो गई थी। इसे फिलीपींस में अभी तक की सबसे बड़ी खान दुर्घटना माना जाता है। इस रिसाव ने समुद्री जीव जंतुओं और नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले हजारों लोगों की आजीविका को अपरिमित क्षति पहुंचाई थी। कनाडा की कंपनी प्लेसर डोम 1970 के दशक से ओपन पिट तांबा खनन परियोजना चला रही थी और उसने वहां 2.3 करोड़ मीट्रिक टन खनिज कचरा जमा कर दिया था। शुरू में इस गड्ढे से हुए रिसाव की वजह से आसपास अचानक बाढ़ आ गई थी जिससे बहुत सारे गांव चारों तरफ से कट गए

थे और निचले इलाके पानी में डूब गए थे। इस तरह की बाढ़ से फसलें और सब्जियां नष्ट हो गईं और चावल के खेतों तक जाने वाली सिंचाई धाराएं बंद हो गईं। न केवल समुदायों के खाद्य स्रोत दूषित हुए बल्कि चिकित्सकीय जांच से पता चला कि बहुत सारे लोगों के शरीर में भी जस्ते और तांबे की मात्रा स्वीकार्य सीमा से कई गुना ज्यादा पहुंच गई है। इस दुर्घटना के बाद नदी को मृत घोषित कर दिया गया और 13 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

दिदिपियो एवं मेरीनड्यूक में खनन उद्योग के खिलाफ अभियान

लीगल राइट्स ऐण्ड नेचुरल रिसोर्सेज़ सेंटर (एलआरसी)-कसामा सा कालीकासान एक नीति एवं वैधानिक शोध व ऐडवोकेसी संगठन है। एलआरसी हाशियाई देसी समुदायों और प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित ग्रामीण समुदायों के सबलीकरण के लिए काम करता है। दिदिपियो और मेरीनड्यूक, दोनों ही जगह एलआरसी ने स्थानीय समुदायों को कानूनी सहायता देने के साथ-साथ इन परियोजनाओं की असली स्थिति की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने दिदिपियो में जांच आयोग भेजे हैं और मनीला स्थित राष्ट्रीय देशी समुदाय आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देकर दिदिपियो में इमारतों और मकानों की तोड़-फोड़ पर रोक लगाने की मांग की है। एलआरसी इस बात का पूरा खयाल रखता है कि उसके सभी प्रयासों में महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व हो। एलआरसी ने प्लेसर डोम खनन दुर्घटना से प्रभावित समुदायों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है और इन समुदायों को सहायता दी है ताकि वे फिलीपींस सरकार के साथ-साथ कनाडा सरकार पर भी दबाव डालें। एलआरसी ने दुनिया भर के संगठनों के साथ इस मुद्दे पर नेटवर्क कायम किए हैं।

दिदिपियो और मेरीनड्यूक में जल अधिकार के लिए महिलाओं का संगठन

ओसियाना गोल्ड ने अपनी एक जल कंपनी भी स्थापित की हुई है। यह कंपनी दिदिपियो की सारे नदी और भूमिगत जल स्रोतों के दोहन के लिए पानी के परमिट हासिल करना चाहती है। समुदाय ने जल परमिट के इस आवेदन को चुनौती देने का फैसला लिया है। इस फैसले की रोशनी में एलआरसी ने महिलाओं को मुख्य पक्ष बनाते हुए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। जिस सरकारी संस्था को इस अर्जी पर फैसला लेना था, उसने कहा कि क्योंकि देशी समुदाय देशी सांख्यिकीय संस्थान के पास पंजीकृत नहीं हैं और उनके पास अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं इसलिए पानी पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। संस्था का यह तर्क गलत और अन्यायपूर्ण है क्योंकि कानून कहता है कि अगर देशी समुदाय पंजीकृत नहीं हैं या उनके पास खाने-पीने, नहाने, सिंचाई आदि के लिए पानी के इस्तेमाल से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं तो भी पानी पर उनका अधिकार बनता है। इस दलील के जवाब में एलआरसी ने पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर की और सरकारी विशेषज्ञों को बताया कि जल अधिकार के लिए सिर्फ पंजीकरण प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती। फिलहाल यह मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। फिलीपींस के संविधान में पानी पर जनता के अधिकारों का आश्वासन देने वाला कोई कानून नहीं है मगर एलआरसी का कहना है कि पानी एक बुनियादी मानवाधिकार है और विशेष रूप से महिलाओं का इस पर

पहला अधिकार बनता है। इस बात को नस्ली भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन में भी मान्यता दी गई है जिस पर फिलीपींस सरकार दस्तखत कर चुकी है और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पानी का अधिकार एक मानवाधिकार है क्योंकि जल ही जीवन है।

अब मेरीनड्यूक में समुदाय की महिलाओं ने कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए हैं जिससे वे शेयरधारकों की आम सभा में हिस्सा ले सकती हैं और कंपनी के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं।

5.6 थाईलैंड

थाईलैंड

क्षेत्र	उडोन थानी प्रांत
अभियान	पोटाश खनन के विरुद्ध महिलाओं का संघर्ष
संगठन	इकोलॉजिकल ऐण्ड कल्चरल स्टडीज़ ग्रुप/फार्मर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन
कंपनी	एशिया पेसिफिक पोटाश कॉरपोरेशन
खनिज पदार्थ	पोटाश

प्राचीन काल में थाईलैंड को 'सुआनफूम' यानी स्वर्ण भूमि कहा जाता था। यहां सोने सहित तमाम खनिज पदार्थों के विशाल भंडार थे। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में बसा उडोन थानी विशाल खनिज भंडारों वाला ऐसा ही एक

इलाका है। इस इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इसलिए गया क्योंकि यहां पोटाश के भी विशाल भंडार पाए गए थे और यहां से इस खनिज पदार्थ का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। पोटाश का मुख्य रूप से उर्वरकों के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है और यह खेतों की उत्पादकता बढ़ाता है। कांच और साबुनों के उत्पादन में भी पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। यहां खनिज अन्वेषण का काम एशिया पेसिफिक पोटाश कॉरपोरेशन (एपीपीसी) द्वारा किया जा रहा है। एपीपीसी में कनाडा की एशिया पेसिफिक रिसोर्सेज़ लिमिटेड का 90 प्रतिशत मालिकाना है। थाई सरकार के पास केवल 10 प्रतिशत का मालिकाना है। यह खान 60,500 हैक्टेयर में फैली है और इसके दायरे में 80 गांव आते हैं। एपीपीसी की योजना है कि धरती की सतह से 350 मीटर नीचे स्थित पोटाश लवण की एक पतली परत को रूम ऐण्ड पिलर तकनीक के जरिए खोदा जाएगा। पोटाश खनन की इजाजत देने के लिए थाई सरकार ने 2002 में अपने खनिज अधिनियम में भी संशोधन कर डाला था ताकि यह कानून भूमिगत खनन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो जाए और 100 मीटर से ज्यादा गहराई पर स्थित पदार्थों की खुदाई के लिए कंपनी को जमीन के मालिकों से इजाजत या सहमति लेने की जरूरत न पड़े। परंतु शुरू से ही स्वैच्छिक संगठन और प्रभावित होने वाले समुदायों के लोग बड़े पैमाने पर इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। समुदायों को भय है कि इससे उनकी जमीन बेकार हो जाएगी और कृषि भूमि व भूमिगत जल राशि दूषित होने लगेगी।

लौह महिलाएं एवं पोटाश खनन विरोधी अभियान

इकोलॉजिकल ऐण्ड कल्चरल स्टडी ग्रुप, फार्मर कम्युनिटी स्कूल और उडोन थानी कंजर्वेशन क्लब, ये सभी संगठन उडोन थानी में पोटाश खनन के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। उन्हें व्यापक समुदाय का पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि लोगों को भय है कि इस खनन उद्योग से उनकी आजीविका (चावल की खेती), संस्कृति व जीवन शैली नष्ट हो जाएगी। ये संगठन एक बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जुलूस निकालना, जागरूकता के लिए सामुदायिक रेडियो का इस्तेमाल, युवाओं और बच्चों की सहभागिता, मीडिया के साथ ऐडवोकेसी, नीतिगत अभियानों के लिए बौद्धिक मंचों का प्रयोग और रसायनिक उवर्रक मुक्त अभियान आदि उनके मुख्य प्रयास रहे हैं। उडोन थानी कंजर्वेशन क्लब के विशेष आग्रह पर थाई लोक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्वास्थ्य प्रभाव आकलन (एचआईए) भी किया था (देखें बॉक्स -- एचआईए प्रक्रिया के जरिए स्थानीय सबलीकरण)। एचआईए में पता चला कि पोटाश खनन की वजह से भूमिगत जल संसाधन गंभीर रूप से प्रदूषित हो सकते हैं।

उडोन थानी की लौह महिलाएं इस खनन परियोजना के विरुद्ध संघर्ष की अगली कतार में दिखाई देती है। हरी टी-शर्ट पहने इन महिलाओं के कपड़ों पर 'पोटाश नहीं' का नारा लिखा होता है और उनके हाथों में झंडे होते हैं। ये झंडे और यह नारा, दोनों ही पोटाश खनन के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक बन गए हैं। ये महिलाएं विषमुक्त हरित पर्यावरण के लिए आवाज उठा रही हैं। उन्होंने अपनी जमीनों की रक्षा के लिए साहस के साथ कदम उठाया है। इन जुलूसों में माताएं, पत्नियां, बहनें, बेटियां और दादियां, सभी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। वे सुरक्षा बलों से लोहा लेती हैं और सामूहिक गिरफ्तारियां देती हैं। महिलाओं को लगता है कि आंदोलन की अगली कतार में रहने के

उनके फैसले ने उनकी कोशिशों को और असरदार बना दिया है क्योंकि शासन भी महिलाओं, खासतौर से बुजुर्ग महिलाओं से नहीं टकराना चाहता। ऐसा करना उनकी परंपराओं के विरुद्ध है।

कंसल्टेशन में आयी सहभागियों ने उत्तर-पूर्वी थाईलैंड में बहने वाली नामस्यू नदी की रक्षा के लिए चलाए जा रहे नामस्यू आंदोलन के बारे में भी बताया। पिछले दो दशकों के दौरान चट्टानी नमक के अवैध और बेतहाशा खनन से इस नदी के आसपास भूमि स्खलन और अनुपजाऊपन की समस्या पैदा हुई है। इस नदी का पानी खारा हो गया है जिससे जल-जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है।

एचआईए प्रक्रिया के जरिए स्थानीय सबलीकरण

एचआईए प्रक्रिया से स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय समुदाय, बुद्धिजीवियों और स्थानीय शासकीय निकायों को मिलकर आगे बढ़ने का साहस मिला। इसके पीछे सिर्फ यह मकसद नहीं था कि पोटाश खनन क्षेत्र के आसपास के लोगों का सबलीकरण किया जाए बल्कि यह प्रक्रिया प्रांत के प्रत्येक व्यवसाय या क्षेत्र के सभी लोगों के सबलीकरण की प्रक्रिया थी। इस कोशिश से लोगों को समग्र स्वास्थ्य यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में सीखने-समझने का मौका मिला है। एचआईए के अनुभव से उडोन थानी प्रांत के बहुत सारे लोगों की समझदारी में इजाफा हुआ है। उडोन थानी राजाभाट विश्वविद्यालय ने एचआईए को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल किया है। क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यालय परियोजना क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए योजना बना रहा है जबकि उडोन थानी प्रांतीय स्वास्थ्य कार्यालय इस अध्ययन की जानकारियों को स्वास्थ्य नियोजन एवं लोक स्वास्थ्य नीति में शामिल करने पर विचार कर रहा है। एचआईवी प्रक्रिया पोटाश खनन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए शुरू की गई थी लेकिन इससे उडोन थानी नागर समाज के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिली है क्योंकि इस बहाने स्थानीय लोगों को अपने प्रांत से संबंधित दूसरे मुद्दों पर चर्चा का कारण मिल गया है। आज यह समुदाय खनन गतिविधियों और स्वास्थ्य, पर्यावरण व संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंधों को अच्छी तरह समझ रहा है। आज उडोन थानी के लोग आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास की दृष्टि से अपने शहरों के विकास की दिशा पर सवाल खड़ा करने लगे हैं।

6. खनन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर

डॉ. सत्यलक्ष्मी ने 'खनन गतिविधियों से स्वास्थ्य पर असर' के बारे में एक प्रस्तुति दी। इसकी शुरुआत में सबसे पहले खनन प्रक्रियाओं और खानों की किस्मों का परिचय दिया गया। सतह पर होने वाली खनन गतिविधियों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में धूल और अयस्क कणों के प्रभाव शामिल थे। इसके अलावा सड़क, वाहन एवं मशीनों के हस्तक्षेप, ध्वनि प्रदूषण और कंपन जैसे प्रभावों का भी विश्लेषण किया गया। भूमिगत खनन गतिविधियों से पैदा होने वाले खतरे में प्राकृतिक और मानव निर्मित, दोनों तरह के खतरों का जिक्र किया गया। ऑक्सीजन की कमी, बहुत ऊंचे तापमान और आर्द्रता जैसे परिणामों को प्राकृतिक खतरों के रूप में जबकि खराब रोशनी, ध्वनि प्रदूषण, श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों, विषैले धुएं के उत्पादन और सिलिकॉसिस आदि को मानव निर्मित खतरों के रूप में चिन्हित किया गया।

अयस्कों के खनन व अन्वेषण और प्रसंस्करण से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की भी व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि इन गतिविधियों से मिट्टी, हवा और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षय होता है क्योंकि ये गतिविधियां मृदा क्षरण, तेजाबी पदार्थों के रिसाव, विषैली

गैसों और भारी धातु का कचरा पैदा करती है। आर्सेनिक, साइनाइड और पारे जैसे रसायनों से स्वास्थ्य पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। सोने की खानों में साइनाइड और पारे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इनसे स्वास्थ्य को बहुत गहरा नुकसान पहुंचता है। जो समुदाय ईंधन, चारे और आजीविका के लिए जंगलों तथा खेती पर आश्रित हैं उनकी आजीविका ऐसी गतिविधियों के कारण सबसे पहले प्रभावित होती है। प्रस्तुति में इस बात का भी जिक्र किया गया कि समुदाय को इन खतरों से किस तरह निपटना चाहिए। यहां बताया गया कि समुदाय के बारे में विस्तृत सूचनाएं इकट्ठा करनी चाहिए; पर्यावरण पर समुदाय की निर्भरता, पर्यावरण में बदलाव और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावरों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। डॉ. सत्यलक्ष्मी का कहना था कि समुदाय तथा कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा की गई सूचनाओं के आधार पर कंपनी के ईआईए पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। समुदाय को भी अपपने स्वास्थ्य में आ रहे बदलावों को दर्ज करना चाहिए। इसके लिए तकनीकी सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है बल्कि समुदाय के लोग बहुत सरलता से चीजों को दस्तावेजी स्तर पर दर्ज कर सकते हैं।

कंपनियों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों की भी चर्चा की गई। इस क्रम में झारखंड का एक उदाहरण दिया गया जहां एक खनन कंपनी के कर्मचारियों को चार साल तक फेफड़ों के कैंसर के बावजूद तपेदिक की दवाइयां दी जा रही थीं। कंपनियां कहती हैं कि मजदूरों की स्वास्थ्य समस्याएं उनकी शराबखोरी का नतीजा हैं न कि खनन गतिविधियों से कोई असर पड़ता है। कंपनियां और शासन हमेशा इस बात को नकारते हैं कि सिलिकॉसिस की बीमारी खनन या पत्थरों के तोड़ने से पैदा होती है। और तो और, अकसर ही सिलिकॉसिस को टीबी के रूप में दर्ज किया जाता है। स्वैच्छिक संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे प्रभावित मजदूरों की क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमे दायर किए हुए हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज के विस्तार के लिए आयोजित ईपीएच में हिस्सा लेने वाली एक महिला के अनुभव (डॉ. सत्यलक्ष्मी के शब्दों में)

"मैं कोयले की खान में ठेके पर मजदूरी करती थी। मेरे पति भी खान में काम करते थे मगर उनकी मौत हो चुकी है। मैं इसलिए बच गई क्योंकि मैं जमीन के ऊपर काम कर रही थी। अब मेरा बेटा भी खान में काम करता है। पहले हमारे पास खेत थे और पानी की कोई कमी नहीं थी। आज हमारे पास अपने पोते-पोतियों के लिए खाना भी नहीं है। हमारे खेत धूल से अंट गए हैं. .. पानी स्याह हो गया है जिसे पिया नहीं जा सकता। मेरे बेटे के पास नौकरी है मगर हमारे पास न तो भोजन है न पानी। पहले एक स्कूल था जहां हमारे बच्चे पढ़ते थे। जब से खान कंपनी आई है तब से तरह-तरह के स्कूल खुल गए हैं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं जबकि कंपनी प्रबंधकों के बच्चे अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे पास कोई मंदिर नहीं है। जब खुदाई शुरू हुई तो हमारा मंदिर तोड़ दिया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों जिंदा हूं?"

7. लघु सामूहिक सत्रों की सिफारिशें

7.1 मुक्त, समयपूर्व एवं सचेत सहमति सत्र का सारांश

स्थानीय अभियानों के अनुभवों का ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई :

1. समुदाय को जानकारियां देने के लिए मोबिलाइजेशन और सांगठनिक रणनीतियां
2. मुआवजे की मांग
3. स्थानीय शासन संरचना (जैसे ग्राम सभा या ग्राम परिषद) के जरिए प्रतिनिधित्व
4. समुदाय के मुखियाओं में भ्रष्टाचार
5. वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों में टकराव

भारतीय समूह में चर्चा : आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा

सदस्याओं ने अपने-अपने अभियानों के अनुभवों का आदान-प्रदान किया और उपरोक्त विषयों पर अपने सामने आ रहे मुद्दों के बारे में बात रखी। उनकी चर्चा का ब्यौरा इस प्रकार है :

- अनुभवों के आधार पर देखा गया है कि सब जगह एक जैसी रणनीति नहीं अपनाई जा सकती। यह मान लेना सही नहीं होगा कि विभिन्न परिस्थितियों में एक ही रणनीति कामयाब हो सकती है। उदाहरण के लिए, उड़ीसा या झारखंड जैसे राज्यों में असंख्य परियोजनाएं चल रही हैं और विभिन्न समुदाय अलग-अलग स्तर पर एक साथ कई संघर्षों में जूझ रहे हैं। विभिन्न समूह अपनी-अपनी रणनीतियों के हिसाब से काम कर रहे हैं। झारखंड में समुदायों के परंपरागत संबंधों के आधार पर कई गांवों के लोगों को इकट्ठा करने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए, जो लोग बर्तन बनाते हैं वे अनाज पैदा करने वालों के साथ व्यापार करते हैं। ऐसे में एक समुदाय के जीवन को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज दूसरे समुदाय को भी जरूर प्रभावित करती है। यह संबंध एक सामुदायिक आंदोलन या मोबिलाइजेशन खड़ा करने में बहुत कारगर साबित होता है।

- कुछ स्थानों पर कारगर साबित हो चुकी रणनीति दूसरे स्थानों पर उतनी कारगर साबित नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब हम स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो पता चलता है कि झारखंड में तो बहुत सालों तक पंचायतों के चुनाव ही नहीं हुए थे इसलिए वहां कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे जिनके बीच महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। ऐसी स्थिति में स्थानीय सभाओं में गांवों के मुखियाओं की देख-रेख में परंपरागत ढंग से ही फैसले लिए जाते थे।

- एक बुनियादी मुद्दा यह है कि राज्य और देश के स्तर पर कानून तो हैं मगर उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है।

- इन सारी बातों का निचोड़ यह है : भ्रष्टाचार, कानूनों के उल्लंघन और समुदाय के भीतर पैदा कर दी गई फूट के बावजूद स्थानीय अभियान में कितना स्थायित्व आ सकता है? परियोजना के खिलाफ लड़ रहे समुदाय कितने सचेत हैं?

भावी कार्रवाई की संभावित पद्धतियां इस प्रकार थीं :

- अभियानों में महिलाएं सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। अपनी जमीन गंवाने का खतरा और उसके असर सबको महसूस हो रहे हैं। यही ताकत है जा लोगों को अपना संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा देती है। रैलियों और धरनों के जरिए अपना आंदोलन जारी रखते हुए इस बात को बारीकी से दर्ज करते रहना बहुत जरूरी है कि कहां किन बातों का उल्लंघन हो रहा है, कौन किसको डराता-धमकाता है और कौन प्रभावित हो रहा है। यह जानकारी स्वैच्छिक संगठनों या ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जो प्रभावित लोगों को वैधानिक रूप से सहायता दे सकते हैं या अभियानों के लिए रणनीतियां तय कर सकते हैं। लिहाजा, दस्तावेजीकरण और रिकार्डिंग से समुदाय की क्षमताओं को विकसित करना बहुत जरूरी है। इस काम को शिक्षित युवाओं, खासतौर से लड़कियों को हाथ में लेना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि समुदाय के लोग चौकस हों और परियोजना के बारे में आने वाली एक-एक अधिसूचना पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हों। अकसर देखने में आता है कि समुदाय बहुत सारे शुरुआती नोटिसों पर गौर नहीं करता और अचानक एक दिन लोगों को पता चलता है कि सब कुछ उनके हाथ से जा चुका है। उदाहरण के लिए, जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया कई चरणों

में पूरी होती है और हमें पहले चरण से ही इसके खिलाफ अपना विरोध और अभियान छेड़ देना चाहिए।

- **कानूनी प्रणाली को समझना चाहिए** (भारतीय संदर्भ में सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के जरिए सूचनाएं, पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आदि) और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में जानना चाहिए। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि परियोजना को किस तरह रुकवाया जा सकता है और कानून में मौजूद खामियों के सहारे किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। कई जगह परियोजनाओं को काफी समय तक रुकवाए रखने में कामयाबी मिली है और कई कंपनियां अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर जा चुकी हैं।

- **समूहों के बीच संपर्क और सूचनाओं का आदान-प्रदान** ज्यादा होना चाहिए। संचार की जरूरत के बारे में कोई संदेह नहीं है मगर अकसर स्थानीय संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ना बहुत टेढ़ी खीर रहता है। जब स्थानीय संगठन अपने अभियानों में उलझे रहते हैं तो उन्हें अन्य स्थानों पर सहायता मुहैया कराने के लिए बुलाना बहुत मुश्किल साबित होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर कई राज्यों में एक साथ मिलकर दबाव बनाया जाए तो काफी फायदा हो सकता है। इसके लिए सबसे पहली और बड़ी जरूरत यह है कि एक-दूसरे के साथ कुशल संपर्क बनाया जाए। इसके लिए टेलीफोन का विकल्प ही सबसे सही दिखाई देता है क्योंकि इंटरनेट जैसे अन्य संचार माध्यम छोटे संगठनों या स्थानीय समुदायों के पास प्रायः नहीं होते।

- मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है और किसी भी अभियान के लिए **मीडिया ऐडवोकेसी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया में जो लोग हमसे सहानुभूति रखते हैं और जो हमारे अभियानों को कवर कर सकते हैं उनमें हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए।

- स्वैच्छिक संगठनों के अलावा **समान सोच वाले लोगों का नेटवर्क** विकसित किया जाए जिसमें सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। संसद सदस्यों के जरिए संसद में विस्थापन और मुआवजे के मुद्दों पर सवाल उठाए जाने चाहिए और उनमें जेंडर के आयामों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

- भारत और दुनिया के कई भागों में एक ही कंपनी के खिलाफ समानांतर अभियान चल रहे हैं इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक ही कंपनी के खिलाफ सक्रिय सारे संगठन **कंपनी केंद्रित अभियान** की रणनीति विकसित करें। उदाहरण के लिए, वेदांता की परियोजनाओं से पीड़ित लोगों के समूह में देश और दुनिया के विभिन्न भागों में इस कंपनी की परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों और उनके प्रतिनिधि संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह के समूहों को और घनिष्ठ रूप से मिलकर काम करना चाहिए।

- **कानूनी मामलों पर सहायता** बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोगों को इसके लिए न केवल आर्थिक सहायता बल्कि कानूनी परामर्श की भी भारी जरूरत रहती है।

- चुनावों में उतरने वाले उम्मीदवारों के लिए **चुनाव घोषणापत्र** तैयार किया जाना चाहिए। चुनावों के बहिष्कार की रणनीति कई जगह इस्तेमाल हो चुकी है मगर जरूरी नहीं है कि यह हर बार सफल हो। तमिलनाडु का एक उदाहरण दिया गया जहां पिछले एक चुनाव बहिष्कार के आह्वान के फलस्वरूप कोई राजनीतिक दल वोट मांगने समुदाय में नहीं आया और समुदाय की मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। बहिष्कार या हिस्सेदारी के विकल्प पर बहुत समझ-बूझ कर फैसला लिया जाना चाहिए। हमें चुनावों में मुद्दा आधारित समर्थन देना चाहिए ताकि देश की संसद में हमारी मांगों को प्रस्तुत किया जा सके। लोगों

में बढ़ती जागरूकता के फलस्वरूप अब निर्वाचित प्रतिनिधियों, कम से कम स्थानीय शासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों को ज्यादा जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

- **जेंडर आधारित मुआवजे** पर विचार किया जाना चाहिए। मुआवजे के मुद्दे में बहुत सारे पेंच रहते हैं। इससे कई बार समुदाय में भी खटास पैदा हो जाती है क्योंकि जरूरत या लालच के चलते कुछ लोग मुआवजा ले लेते हैं जबकि दूसरे लोग मुआवजा नहीं लेते। इसके बाद यह सवाल उठाता है कि मुआवजा कितना और किस तरह का हो -- नकद या जमीन। मुआवजे की प्रक्रिया में महिलाओं को भी पूरा हिस्सा और हक मिलना चाहिए। परंपरागत रूप से जमीन और मकानों के कागज पुरुषों के नाम पर ही होते हैं और जब मुआवजे के रूप में नई संपत्ति मिलती है तो वह भी पुरुषों के ही नाम पर लिख दी जाती है। इसका मतलब है कि महिलाएं किसी तरह के लाभ हासिल नहीं कर पातीं।

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त **दिवसों के इर्द-गिर्द अभियान** विकसित करना : उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च), देशी समुदाय दिवस (9 अगस्त) आदि अवसरों पर विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। उपस्थित संगठनों का कहना था कि ऐसे मौकों पर रैलियों के आयोजन से उन्हें समुदाय को बड़ी संख्या में गोलबंद करने में मदद मिलती है। इस तरह के शक्तिप्रदर्शन से कंपनी का भी आत्मविश्वास टूटता है।

अंतर्राष्ट्रीय समूह : कम्बोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और म्यांमार की चर्चा

देशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून तो बहुत सारे देशों में हैं मगर सिर्फ कानूनों के होने से लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती। फिलीपींस में एफपीआईसी की अवधारणा से मिलता-जुलता कानून है, इंडोनेशिया में एक कृषि कानून है जबकि कम्बोडिया में देशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सामुदायिक भूमि कानून है। इन सारे कानूनों के बावजूद कंपनियां खनन मानकों और नियमों का ही सहारा लेकर मानवाधिकारों को ठेंगा दिखा देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समूह की सहभागियों ने खनन उद्योग के निषेध के लिए कई रणनीतियों पर चर्चा की। इस चर्चा का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- समुदाय तक खबरें पहुंचाने और अभियान के बारे में सूचना के प्रसार हेतु **सामुदायिक रेडियो/सामुदायिक न्यूज लैटर** का प्रयोग करना।

- **जनमत संग्रह** करना। भले ही संबंधित देश की सरकार इस तरह के जनमत संग्रह को मान्यता न दे मगर यह समुदाय की आकांक्षाओं की अनौपचारिक अभिव्यक्ति, खान उद्योग के खिलाफ संघर्ष कर रहे समुदाय की राय का सबूत हो सकती है।

- नीतिगत मुद्दों को प्रभावित करने के लिए **बुद्धिजीवियों के साथ नेटवर्किंग** करना।

- इंटरनेट से लेकर स्थानीय स्तर तक एक **मीडिया रणनीति** विकसित करना; स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं को आमंत्रित करना और उन्हें संबंधित मुद्दे पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना।

- खनन गतिविधियों के बारे में **घर-घर, गांव-गांव पैदल यात्रा** करके ये जानकारी फैलाई जा सकती है कि इन गतिविधियों से समुदाय और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेंगे और हमें इसका विरोध क्यों करना चाहिए।

- एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करने के लिए **साझा चंदा संग्रह** गतिविधियां चलाना।

- **वैकल्पिक गोलबंदी,** उदाहरण के लिए खेती जैसी स्थानीय गतिविधियों के जरिए स्वामित्व और एकता की भावना को बल देना।
- अभियानों के लिए **स्वैच्छिक संगठनों की सहायता** हासिल करना।
- खनन गतिविधियों की वजह से पीड़ित अन्य समुदायों के साथ **सामुदायिक आदान-प्रदान** करना।
- **सीडा जैसे अंतर्राष्ट्रीय साधनों** का इस्तेमाल करना और उसके अंतर्गत दबाव पैदा करने और अभियान को मजबूती देने के लिए पानी पर महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाना।
- पानी, बांध आदि विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर **अभियानों में समन्वय** रखना और समुदाय की कई चिंताओं को मिलकर संबोधित करना।
- अभियानों की **अगली कतार में महिलाओं** को रखते हुए सामुदायिक आंदोलन खड़े करना। बहुत सारे समुदायों में महिलाओं को धरती मां या प्रकृति के समकक्ष देखा जाता है। इस प्रतीकात्मक छवि का सहारा लेकर पर्यावरण के विनाश को अपनी मां की हत्या की भावना से जोड़ने में मदद मिलती है।
- समुदाय में **आत्मनिर्भर उद्योग विकसित** करना और आजीविका के लिए परंपरागत स्रोतों के महत्व को मान्यता देना।
- **युवाओं को गोलबंद** करना।
- अभियान में चर्च जैसे **अन्य सामुदायिक संस्थानों की सहायता** लेना।

7.2 श्रम सत्र का सारांश

महाराष्ट्र, राजस्थान और कम्बोडिया के संगठन।

अपने-अपने अनुभवों पर इस समूह में बहुत सघन और प्रभावी चर्चा व आदान-प्रदान हुआ। कम्बोडिया में अभी बड़े पैमाने की खनन गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र में असंगठित महिला खनिकों की एक बहुत विशाल संख्या है। राजस्थान और महाराष्ट्र से आई महिलाओं ने अपनी बहुत सारी समस्याओं और उनके हल ढूंढने की अपनी नाना कोशिशों के बारे में बातचीत की। जब राजस्थान से तुलना की गई तो पता चला कि महाराष्ट्र के संगठनों को अधिकारों के संघर्ष में महिलाओं को गोलबंद करने में काफी मदद मिली है। महिला खनिकों के बारे में इस समूह की कुछ सिफारिशें इस प्रकार थीं :

- स्थानीय स्तर पर भी इसी तरह निपुणताओं का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में विभिन्न खान स्थलों पर सक्रिय महिला खनिकों के बीच आदान-प्रदान होना चाहिए जिससे वे सफल अभियान रणनीतियों के बारे में जान सकें।
- महिला कामगारों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में अहतियाती उपायों की शिक्षा दी जानी चाहिए।
- पानी की गुणवत्ता की जांच और खान स्थल पर ओवरहेड पानी की टंकी का इंतजाम होना चाहिए।
- मजदूरों को पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। अगर कोई मजदूर दो खानों में काम कर रहा/रही है तो उसे दो पहचान पत्र मिलने चाहिए। इससे मजदूर की पहचान स्थापित की जा सकती है, यानी यह साबित किया जा सकता है कि मजदूर किस खान में नौकरी करता/करती है और खान मालिकों या ठेकेदारों को उस मजदूर के साथ होने वाली दुर्घटना या उसकी मृत्यु की स्थिति में जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- महिलाओं को काउंसलिंग दी जानी चाहिए जिससे वे स्वयं सहायता समूहों, कोऑपरेटिव आदि के जरिए शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न जैसे कार्यस्थल संबंधी मुद्दों से निपट सकें।

- मजदूरों के लिए बचत एवं बीमा योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा के लिए मांग।
- महिलाओं को सरकारी योजनाओं तक पहुंच के लिए शिक्षित करना।
- किशोरियों के लिए पुनर्वास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए क्योंकि खान सथलों पर वे सबसे संवेदनशील समूह होती हैं।
- एकजुट होने और मिलकर अपने अधिकारों व सुविधाओं के लिए आवाज उठाने के वास्ते कोऑपरेटिवों की स्थापना करना।
- समुदाय के भीतर एक अनौपचारिक नेटवर्क का विकास करना ताकि महिलाओं में जागरूकता फैलाई जा सके। महाराष्ट्र की पत्थर खदानों में महिलाओं को मोबिलाइज करने में संतुलन इस रणनीति का सफलतापूर्वक प्रयोग कर चुका है।
- बेहतर मजदूरी के लिए सामूहिक सौदेबाजी और मोलभाव ताकि मजदूरी में गिरावट पर अंकुश लगाया जा सके और कमरतोड़ मेहनत के लिए गरिमापूर्ण मजदूरी हासिल की जा सके।
- पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लॉबिंग करना।
- घरेलू हिंसा और शराबखोरी से लड़ने के लिए महिलाओं को एकजुट करना।

8. आगे का रास्ता

क्षेत्रीय क्षमता आदान-प्रदान से महिलाओं को आपस में मिलने और अपनी रणनीतियों पर चर्चा करने का बढ़िया मौका मिला। महिला खनिकों ने इस बात को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया कि उन्हें अपनी महत्वपूर्ण मांगों को साकार करने के लिए बड़े नेटवर्कों के साथ जुड़ना होगा और अपनी इस समझदारी को दूसरे मजदूरों में भी फैलाना होगा। ये महिलाएं रोजगार की सुरक्षा, महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की तथ्यात्मक जानकारियां इकट्ठा करने, साफ पानी, आवास और शिक्षा जैसे मूल अधिकारों पर रणनीतियों के बारे में लॉबिंग के महत्व से वाकिफ थीं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों के मजदूरों के साथ आदान-प्रदान पर काफी जोर दिया। भारत में संगठनों ने महिलाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा विधेयक पर लॉबिंग के लिए आवाज उठाई। संसद में यह विधेयक विचाराधीन है। कम्बोडिया जैसे कुछ देशों में मजदूरों के मुद्दे अभी इतने गंभीर नहीं हैं क्योंकि वहां खनन व्यवसाय अभी सामुदायिक/अनौपचारिक खनन गतिविधियों तक ही सीमित है और कंपनियों का दबाव बहुत ज्यादा नहीं है। वहां के मजदूर अभी केवल बड़े पैमाने के खनन से पैदा होने वाली चुनौतियों का अनुमान लगा पा रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर इस तरह के आदान-प्रदान कार्यक्रमों से आशंकित खतरे में घिरे समुदायों को भी आने वाले भविष्य की तैयारी करने में मदद मिलती है। संगठनों का गहरा विश्वास था कि उन्हें अपने राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों में महिला मजदूरों को और ज्यादा संख्या में शामिल करना चाहिए ताकि वे अपनी सरकारों और यूनियनों पर दबाव डाल सकें।

जहां तक देशी समुदायों की महिलाओं का सवाल है तो भूमि अधिकार और महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण से जुड़े मुद्दों पर काफी समानता दिखाई दी। इस आधार पर भविष्य में समयपूर्व और सचेत सहमति को एक साझा विकल्प के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि हमें इस अवधारणा का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से प्रभावित

देशी महिलाओं की आपबीतियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के प्रयोग में अपने अभियानों का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। सहभागियों का मानना था कि महिलाओं के पास सूचनाओं तक अच्छी पहुंच नहीं है। वे जिन कंपनियों से जूझ रही हैं उनके बारे में भी महिलाओं के पास बहुत जानकारी नहीं होती है। वे अन्य क्षेत्रों या देशों की स्थितियों से अवगत नहीं होती हैं जिसके आधार पर वे विभिन्न अभियानों से जुड़ सकती हैं और ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक सामूहिक आवाज उठा सकती हैं। पूरे महाद्वीप में देशी समुदायों की महिलाओं का नेटवर्क विकसित करने पर भी जोर दिया गया। कंसल्टेशन में आई महिलाओं का मानना था कि उनको इस तरह की रणनीति और संपर्क विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र मंच है जो खनन व्यवसाय के संदर्भ में जेंडर अधिकारों को संबोधित कर सकता है।

9. फील्ड ट्रिप

कंसल्टेशन के चौथे दिन नालगौंडा जिले में प्रस्तावित यूरेनियम खनन स्थल का दौरा किया गया (इस स्थान के बारे में जानकारियों के लिए 5.2.1 देखें)। जब सरकार ने इस परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव रखा था तो इलाके के स्थानीय समुदाय खुद-ब-खुद उठ खड़े हुए थे। फील्ड ट्रिप में सहभागियों ने पेड्डागट्टू गांव का दौरा किया और लोगों से बातचीत की।

10. परिशिष्ट

परिशिष्ट 10.1 : भारतीय खनन उद्योग में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग

वैश्वीकरण और निजीकरण के नये रूपों ने महिलाओं और बच्चों की हालत और खराब कर दी है। उन्हें उनकी जमीनों और संसाधनों से बाहर धकेला जा रहा है क्योंकि खनन उद्योग उनकी जमीनों पर कब्जा करने पर आमादा है। यह उद्योग कम से कम कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक शोषण करना चाहता है और मानव संसाधनों की जगह तकनीकी साधनों को बढ़ावा दे रहा है। सामाजिक और पारिस्थितिकीय लागतों को सिरे से नजरअंदाज किया जा रहा है। खनन उद्योग से जुड़े मुद्दों पर कार्यरत संगठन और समुदाय राज्य और औद्योगिक शक्ति के दमनकारी निरंकुश आचरण से त्रस्त हैं। चाहे कहीं सैनिक सरकार हो और या कोई कथित लोकतांत्रिक सरकार हो, सभी जगह एक जैसे हालात दिखाई देते हैं।

यद्यपि अभिशासन और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानक मौजूद हैं मगर खनन क्षेत्र में दोनों का ही खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यदि महिलाओं को न्याय दिलाना है तो इन उल्लंघनों को बेपर्द करना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

नीतियों में कंपनियों और सरकारों पर ऐसे कानूनी बंधन नहीं लगाए गए हैं जिनके चलते उन्हें महिला खनिकों के अधिकारों की भी रक्षा करनी पड़े।

इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि खनन उद्योग में जेंडर न्याय से जुड़े मुद्दों को मुख्यधारा में लाया जाए। समता तथा धात्री रिर्सोस सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रन, माइन्स मिनरल्स ऐण्ड पीपुल (एमएमएण्डपी) तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं खनन नेटवर्क, रेड इंटरनेसियोनाल "मुखेरेस ई मिनेरिया" (रिम), ये सभी संगठन और नेटवर्क भारत में इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

समता तथा धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रन

समता एक सामाजिक संघर्ष संगठन है जो मानवाधिकारों और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करता है। समता का काम दक्षिण भारत के पूर्वी घाट स्थित देशी (जनजातीय/आदिवासी) समुदायों में ज्यादा केंद्रित है। संगठन का काम आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय क्षेत्र में ज्यादा सघन है। पिछले दो दशकों के दौरान समता का मुख्य जोर इस बात पर रहा है कि आदिवासी समाजों को संगठित किया जाए ताकि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों व परंपरागत आजीविका पर अपने संवैधानिक और परंपरागत अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। 1987 से 1997 के बीच पहले दस साल में समता का मुख्य जोर समुदाय आधारित विकास हस्तक्षेपों पर था ताकि आदिवासी समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास आदि बुनियादी सुविधाएं और विकास के लिए सुगम परिस्थितियां मिल सकें। इसके लिए जनजातीय अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई गई और उन्हें शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित किया गया।

1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला लिया जिसे समता फैसले के नाम से जाना जाता है। इस फैसले के बाद समता एक समुदाय आधारित सामाजिक संगठन के स्थान पर पूर्वी घाट में आदिवासी एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सक्रिय एक ऐडवोकेसी और सहायता संगठन में रूपान्तरित हो गया। विकास संबंधी गतिविधियों के अलावा समता की सरगर्मियों में अब ऐडवोकेसी, पांचवीं अनुसूची की रक्षा व क्रियान्वयन के लिए लॉबिंग व नेटवर्किंग, खनन जैसी परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष, विकेंद्रीकृत शासन और आदिवासी स्वशासन जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। समता के बारे में और जानकारी के लिए www.samataindia.org पर जाएं।

धात्री का उदय

जिस तरह समता का मुख्य जोर अभियान की शक्ल में जनजातीय अधिकारों के लिए ऐडवोकेसी पर रहा है उसी तरह धात्री भी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों व विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए एक नई पहचान व संरचना विकसित करने की प्रक्रिया में है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समता ने महिलाओं व बच्चों के लिए एक संसाधन केंद्र विकसित किया जिसे धात्री रिसोर्स सेंटर का नाम दिया गया है और अब यह एक स्वतंत्र भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है।

बच्चों से संबंधित कार्यक्रम (और विवरण के लिए www.balamitra.org देखें) में विशाखापत्तनम जिले की पहाड़ियों के ऊपरी हिस्सों में बसे 40 दुर्गम गांवों में पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा विशाखापत्तनम शहर में एक मॉडल आवासीय विद्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र भी चलाया जा रहा है। परंपरागत आदिवासी संस्कृतियों का संरक्षण, उनका दस्तावेजीकरण और एक रचनात्मक एवं संदर्भ आधारित पाठ्यचर्या में उसका इस्तेमाल हमारे शैक्षिक प्रयासों का महत्वपूर्ण अंग है। हाशियाई ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए जेंडर कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं मानवाधिकारों के बारे में उनके क्षमतावर्धन को मुख्य लक्ष्य चुना गया है। खनन एवं विस्थापन की परिस्थितियों में तथा श्रमिक अधिकारों पर महिलाओं के संघर्षों को सहायता देना हमारी मुख्य गतिविधियों में से एक है। इस प्रक्रिया में देशी समुदायों की महिलाओं, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और विकास परियोजनाओं, खासतौर से खनन परियोजनाओं से प्रभावित महिलाओं के मुद्दों पर खास जोर दिया जाता है क्योंकि इन महिलाओं को अपने जीवन पर असर डालने वाले फैसलों व नीतियों के बारे में सबसे आखिर में पता चलता है और वे कोई आवाज नहीं उठा पाती हैं। इस कार्यक्रम में जेंडर न्याय के मुद्दों, निर्णय प्रक्रिया और सचेत चयन तक पहुंच, अपने संसाधनों पर नियंत्रण और हनन के संदर्भ में उत्तरजीविता व आजीविका पर नियंत्रण से जुड़े मुद्दों का विशेष रूप से संबोधित किया जाता है।

माइन्स, मिनरल्स ऐण्ड पीपुल

एमएम ऐण्ड पी भारत में एक तेजी से बढ़ता राष्ट्रीय गठबंधन है जिसमें खनन परियोजनाओं से संबंधित और प्रभावित लोग, संस्थाएं और समुदाय शामिल हैं। विभिन्न समूहों के अलग-थलग संघर्षों के फलस्वरूप खनन उद्योग के विनाशकारी चरित्र से जूझने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय गठबंधन का उदय हुआ है। आज एमएम एण्ड पी से जुड़े घटक संगठन 16 राज्यों में सक्रिय है। ये संगठन मुख्य रूप से आदिवासी इलाकों में खनन उद्योग के प्रभावों पर काम कर रहे हैं और 100 से ज्यादा जमीनी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह गठबंधन संघर्षों को समर्थन देता है, मीडिया और लीगल एडवोकेसी करता है, अभियान की रणनीतियां विकसित करता है, तकनीकी और वैज्ञानिक कुशलता देता है, शोध करता है, अभियानों के सुदृढ़ीकरण हेतु जांच दल और निपुणताओं के आदान-प्रदान आयोजित करता है, दस्तावेजीकरण और सूचनाओं का प्रसार करता है तथा अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ नेटवर्किंग करता है। इस गठबंधन का राष्ट्रीय सचिवालय विशाखापत्तनम, भारत में समता के कार्यालय में स्थित है। एमएमऐण्ड पी के बारे में और जानकारी के लिए www.mmpindia.org देखें।

इंटरनेशनल वीमेन ऐण्ड माइनिंग नेटवर्क अथवा रेड इंटरनेसियोनाल "मुखेरेस ई मिनेरिया"

इंटरनेशनल वीमेन ऐण्ड माइनिंग नेटवर्क अथवा रेड इंटरनेसियोनाल "मुखेरेस ई मिनेरिया" (रिम) पहला और एकमात्र ऐसा मंच है जहां खनन और जेंडर न्याय के गंभीर मुद्दों पर विभिन्न महाद्वीपों की महिलाओं को एक जगह इकट्ठा किया गया है। यह नेटवर्क खनन उद्योग से संबंधित जेंडर चिंताओं की पड़ताल के लिए शुरू किया गया था मगर अब यह विस्थापित समुदायों या शोषित मजदूरों के रूप में खनन परियोजनाओं से पीड़ित महिलाओं का एक वैश्विक मंच बन चुका है।

यह नेटवर्क समुदायों, जनांदोलनों, स्वैच्छिक संगठनों व मानवाधिकार संगठनों का एक वैश्विक समुदाय है। इसका मकसद खनन परियोजनाओं से विस्थापित हो चुकी या विस्थापित होने वाली महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ना तथा महिला खनिकों के लिए लड़ना है जो खनन क्षेत्र के सभी स्तरों पर कार्यस्थल में बेहिसाब अन्याय और भेदभाव झेलती हैं। यह नेटवर्क खनन उद्योग में बाल मजदूरी के उन्मूलन के प्रति संकल्पबद्ध है।

रिम खान उद्योग में जेंडर न्याय पर अभियान विकसित करने के लिए क्षेत्रीय और विषयवार ढंग से काम कर रहा है। क्षेत्रीय नेटवर्किंग के जरिए हम सामूहिक सौदेबाजी में मदद देते हैं और महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के लिए मांग उठाते हैं। समुदायों की महिलाओं और महिला खान मजदूरों के लिए निपुणता आदान-प्रदान कार्यशालाओं के जरिए सूचनाओं, अनुभवों और आदान-प्रदान में सहायता देना इस नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण अभियान रणनीति है। यह नेटवर्क विभिन्न देशों में स्थित अपने क्षेत्रीय और विषय केंद्रित समन्वय कार्यालयों के जरिए काम करता है। रिम का अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय अभी भारत स्थित धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रन के कार्यालय में स्थित है। रिम के बारे में और जानकारी के लिए www.rimmrights.org देखें।

परिशिष्ट 10.2 सहभागियों की सूची

कम्बोडिया

लाव बनरिथी
ऑक्सफेम अमेरिका
चौथी मंजिल, नंबर 64, स्ट्रीट 108, सांग काट वाट नोम,
खान दाउन पेन, नोम पेन्ह, कम्बोडिया
ई-मेल : blav@oxfamamerica.org
फोन : (855) 23 210 357
मोबाइल : (855) 12 925799

छोरवीरोन रोस
विलेज सपोर्ट ग्रुप
नंबर 676, समूह 21,
कामाकोर गांव, स्वे पोर कम्यून
बंटामबांग जिला एवं प्रांत, कम्बोडिया
ई-मेलः vsg@online.com.kh
फोनः 053730355
मोबाइलः 012915540

सोफी से
डेवलेपमेंट ऐण्ड पाटर्नरशिप एक्शन
नंबर 69, स्ट्रीट 450,
संग काट टाउल, टूमपुंग 2, नोम पेन्ह, कम्बोडिया
ई-मेलः se.sophy@gmail.com
फोनः (855) 75 974 073
मोबाइल : (855) 12 613 188

चेंथी दाम
हाइलैंडर एसोसिएशन
नोम 5, स्रोक बानलुंग,
रतनाकिरी प्रांत, कम्बोडिया
फोनः (855) 75974182
मोबाइल : (855) 12 434670

भारत

आंध्र प्रदेश
सोमपीचिन्नपा
रल्लागड्डा गांव, जिला विशाखापत्तनम,
आंध्र प्रदेश

माकिरेड्डी लक्ष्मी
सीतारामराजू युवजन संघम
एन लक्ष्मी शारदा नगर, नरसीपट्टनम, 53116,
आंध्र प्रदेश, मोबाईलः 9490037688

ज्योति बी
तुम्मनवलसा, अरकू,
जिला विशाखापत्तनम,
आंध्र प्रदेश

तिल्लो मुत्तई
गोंडीवलसा, अरकू,
जिला विशाखापत्तनम,
आंध्र प्रदेश

विजय कुमार कोमूरी
वेनेला रूरल डेवलेपमेंट सोसायटी
टीवी पल्ले, (ग्राम डाक) वाया तल्लापल्ले,
जिला कुड़प्पा, 516350,
आंध्र प्रदेश
फोनः +91 8588 282265,
मोबाईलः +91 9849648498

के सत्यलक्ष्मी
मूवमेंट अगेंस्ट यूरेनियम प्रॉजेक्ट्स
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

संध्या बांदा
मूवमेंट अगेंस्ट यूरेनियम प्रॉजेक्ट्स
यूनिट नंबर 47, हिल रिज विलाज़,
गाछीवाउली,
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
ईमेलः ram_sandy@yahoo.com
मोबाईलः +91 9959711147

किशनराव पारचा
सुखक्षेत्रम
हैदराबाद 500016, आंध्र प्रदेश
ईमेलः sukhshetram@gmail.com
फोनः +91 40 23733398
मोबाईलः. 91 9441123197

इराटा धनलक्ष्मी
धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन
डी.नंबर 14-40-1,
गोखले रोड, महारानीपेटा,
विशाखापत्तनम-530002
आंध्र प्रदेश, भारत
ईमेलः mounibalamitra@gmail.com
फोनः +91 891 2737662, 2737653

सुशीला मरार
धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन
डी.नंबर 14-40-1, गोखले रोड,
महारानीपेटा, विशाखापत्तनम-530002
आंध्र प्रदेश, भारत
ईमेलः dhaatri@gmail.com/
sumarar@gmail.com
फोनः +91 891 2737662, 2737653
मोबाईलः +91 9866020183

सीमा मंडोली
धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन
डी.नंबर 14-40-1, गोखले रोड, महारानीपेटा,
विशाखापत्तनम-530002
आंध्र प्रदेश, भारत
ईमेलः dhaatri@gmail.com/
seemamundoli@gmail.com
फोनः +91 891 2737662, 2737653
मोबाईलः +1 9449818468

जननी रामूलम्मा
कोरटवलसा, जिला विशाखापत्तनम,
आंध्र प्रदेश

रूटल्ला जगाड़ा
राचापल्ली गांव,
जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

ऐर्रा अच्छइयम्मा
माका वरपालेम मंडल, जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
तान्या रॉबटर्स-डेविस
ईमेलः tanya_rd@riseup.net

सजया काकरला
मूवमेंट अगेंस्ट यूरेनियम प्रॉजेक्ट्स
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
ईमेलः sajayak@gmail.com
फोनः +91 44 27560963
मोबाईलः +91 9948352008

सरस्वती
हैदराबाद

पिट्टला रवींद्र
सिंगरेनी अफेक्टेड एरियाज़ रिसर्च कम्युनिटी
20-3-108, विद्यानगर, गोदावरी खानी-505209
करीम नगर जिला, 505209, आंध्र प्रदेश
ईमेलः pittalaravinder@gmail.com
मोबाईलः +91 99630 62266

दलाई राधा
धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन
डी.नंबर 14-40-1,
गोखले रोड, महारानीपेटा,
विशाखापत्तनम-530002
आंध्र प्रदेश, भारत
ईमेलः dhaatri@gmail.com
फोनः +91 891 2737662, 2737653

रजुलम्मा चगरला
धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन
डी.नंबर 14-40-1,
गोखले रोड, महारानीपेटा,
विशाखापत्तनम-530002
आंध्र प्रदेश, भारत
ईमेलः rajulamma@gmail.com
फोनः +91 891 2737662, 2737653

के भानुमति
धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन
डी.नंबर 14-40-1,
गोखले रोड, महारानीपेटा,
विशाखापत्तनम-530002
आंध्र प्रदेश, भारत
ईमेलः dhaatri@gmail.com/
bhanu_kalluri@yahoo.co.uk
फोनः +91 891 2737662, 2737653
मोबाईलः +91 9848824419

झारखंड

अमेलिया हंसदा
आदिवासी लाहांती गावतो
हाथीमोडा, पीओ बरकियारी, महेशपुर,
जिला पाकुर-816106, झारखंड
मोबाईलः +91 9430199420

सलोनी सोरेन
आदिवासी कल्याण परिषद, नयाधि,
डाक काठीकुड,
जिला दुमका-814101, झारखंड
मोबाईलः +91 9204507497

निर्मला मुरमू
आदिवासी उल्गुलान मंच
7 बंदोरजोरी, डाक दुमका-814101,
झारखंड
मोबाईलः +91 9470104157

कर्नाटक

डॉ. एम. भाग्यलक्ष्मी
सखी
नंबर 69, 4th क्रॉस, वार्ड 20, अरविंद नगर
हॉसपेट, जिला बेल्लारी 583201, कर्नाटक
ईमेलः sakhihyka@gmail.com
फोनः +91 8394 265677
मोबाईलः +91 9448183996

महाराष्ट्र

अंजना वेताल
तुलसा भवानी नगर, पुणे, 142207, महाराष्ट्र
फोनः +91 20 22747771

पुष्पा जगताप
संतुलन

जनबाई मंजुलकर
संतुलन

उड़ीसा

ताई चिनी झोड़िया
ससुबहुमाली सुरख्या समिति
खुरीगांव, काशीपुर
जिला रायगड़ा, 765015 उड़ीसा
मोबाईलः +91 9437406825

नबीन नायक
ससुबहुमाली सुरख्या समिति
खुरीगांव, काशीपुरए जिला रायगड़ा, 765015 उड़ीसा
मोबाईलः +91 9437406825

सिबराम नाईक
बपलीमाली सुरख्या समिति
मैकांच वाया काशीपुर, ब्लॉक काशीपुर
जिला रायगड़ा, 765015 उड़ीसा
मोबाईलः +91 9437906794

बिदुलता हुईका
अंकुरण/उड़ीसा आदिबासी मंच
कस्तूरी नगर, 6th लैंड, जिला रायगड़ा,
उड़ीसा
ईमेलः bidulatahuika@rediffmail.com
फोनः +91 6856 223147
मोबाईलः +91 9437578468/9437432100

रबी मुंद्रका
नियामगिरी सुरक्या समिति
कोरडाबंधो, डाक एम पत्रोगुडा, वाया मुनीगुडा
जिला रायगड़ा, उड़ीसा

राजस्थान

मंजू मेहता
माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन
26 ए, नेशनल होटल के पीछे, प्रतापगढ़, जोधपुर,
राजस्थान

बसंती देवी मीणा
माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन
26 ए, नेशनल होटल के पीछे, प्रतापगढ़, जोधपुर,
राजस्थान
मोबाईलः +91 9799302228

सुजी देवी
माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन
26 ए, नेशनल होटल के पीछे, प्रतापगढ़, जोधपुर,
राजस्थान
मोबाईलः +91 9929613019

तमिलनाडु

फातिमा बाबू
वीरांगनाई
77 पेरियाकडाई स्ट्रीट, तूतीकोरिन-628001, तमिलनाडु
ईमेलः fatimababu@yahoo.com
फोनः +91 461 2325220
मोबाईलः +91 94434 04855

दर्शनी कासीबाबू
वीरांगनाई
77 पेरियाकडाई स्ट्रीट,
तूतीकोरिन 628001, तमिलनाडु
ईमेलः darshini.babu@gmail.com
फोनः +91 461 2325220
मोबाईलः +91 9786997994

निकिता सतीश
वीरांगनाई
77 पेरियाकडाई स्ट्रीट,
तूतीकोरिन 628001, तमिलनाडु
ईमेलः perez_nikita@yahoo.com
फोनः +91 44 24826021
मोबाईलः +91 9841721209

इंडोनेशिया

लूलूक उलिया
जतम-माइनिंग ऐक्शन नेटवर्क
ममपांग प्रप्टन, 2/30, साउथ जकार्ता, इंडोनेशिया
ईमेलः luluk@jatam.org
फोनः +6221 7941559
मोबाईलः 08159480246

फिलीपींस

मेरी ग्रेस एलन एस. विलानुएवा
लीगल राइट्स ऐण्ड नेचुरल रिसोर्सेज़ सेंटर-कसामा सा
कालीकासान/फ्रेंड्स ऑफ दि अर्थ,
फिलीपींस-लुज़ोन रीजनल ऑफिस
41-बी मापासांगुनी स्ट्रीट, सिकाटुना गांव,
क्वेजोन सिटी, 1101, फिलीपींस
ईमेलः gracevill@gmail.com
फोनः (+632) 926-4409/(+632) 434-4079
(टेलीफैक्स)

थाईलैंड

बामपेन चय्याराक
इकोकल्चर स्टडी ग्रुप
पोस्ट बॉक्स 14, मोंग,
उडोन थानी, थाईलैंड
ईमेलः wunjunre@yahoo.com
फोनः +66224382
मोबाईलः 896643012

थराडा नमहाई
फार्मर कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन
40 एम 14 नोंगसांग,
वापीपाठुम, महासरखानी
प्रांत, थाईलैंड
ईमेल : theerada7007@gmail
मोबाईलः +66-815460252

इस प्रसंग में हम इन साथियों की सहायता के लिए भी आभार प्रकट करना चाहते हैं : सत्या श्रीनिवास (समता), सीतारामराजू केवी (धात्री रिसोर्स सेंटर फॉर वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन), माकीरेड्डी रामन (समता), पी जग्गाराव (समता), जी वी एस रविशंकर (समता), बी चिन्ना (समता), जी श्रीनिवासी (समता)।

इस कंसल्टेशन के आयोजन में हमें ग्लोबल फंड फॉर वीमेन, यूएसए तथा बोथएन्ड्स, नीदरलैंड्स से जो आर्थिक सहायता मिली है उसके लिए हम इन दोनों संस्थानों के आभारी हैं।

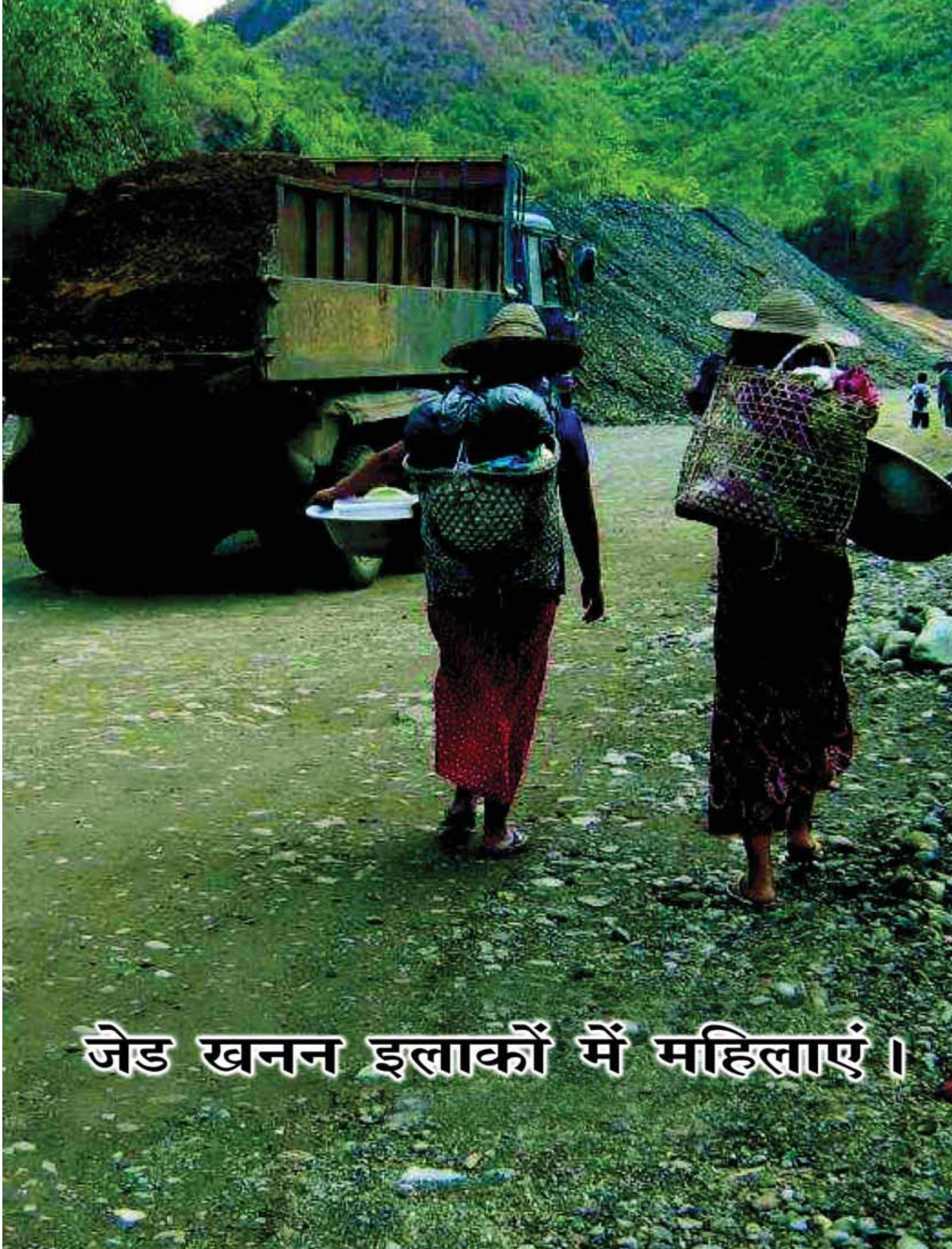

जेड खनन इलाकों में महिलाएं।

Co hosted by

mines, minerals and PEOPLE (mm&P)
D.No. 14-40-1, Gokhale Road,
Maharanipeta, Visakhapatnam - 530002
Andhra Pradesh, India
Tel: +91-891-2737662
Email: mmpindia@gmail.com

&

Dhaatri Resource Centre for Women and Children
Plot No:22, Eanadu Layout,
Sagar Nagar,Visakhapatnam-530043
Andhra Pradesh, India
Tel: +91-891-2737653
Email: dhaatri@gmail.com

on behalf of the

International Women and Mining Network

Red Internacional 'Mujeres y Mineria' (RIMM)

थाईलैंड में पोटाश मैन के खिलाफ आन्दोलन करती हुयी उडों थानी के 'अयोर्ण वीमेन'

महिला, खनन एवं विकास पर विचार विमर्श

निपुणता आदान-प्रदान रिपोर्ट...

16 - 19 मारर्च 2009 हैदराबाद, भारत